केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों
हेतु
वित्तीय विवरणों का फार्मेट

शैक्षिक संस्था का नाम .....

तुलन पत्र की स्थिति .....

राशि रूपये में

निधियों के स्रोत	सूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र/पूंजीगत पूंजी	1		
निर्दिष्ट/उदिष्ट/बंदोबस्ती पूंजी	2		
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	3		
कुल			

निधि का प्रयोग	सूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अचल परिसम्पतियां	4		
मूर्त परिसम्पत्तियां			
अमूर्त परिसम्पत्तियां			
पूंजीगत निर्माण कार्य प्रगति पर			
उदिष्ट/बंदोबस्ती कोष से निवेश	5		
दीर्घ कालिक			
अल्प कालिक			
अन्य निवेश	6		
वर्तमान परिसंपत्तियां	7		
ऋण, अग्रिम एवं जमा	8		
कुल			

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23
खातों की आकस्मिक देयताएं एवं नोट्स	24

शैक्षिक संस्था का नाम .....

आय एवं व्यय खाता ..... को समाप्त अवधि/वर्ष

राशि रूपये में

ब्यौरे	सूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
शैक्षिक रसीदें	9		
अनुदान/सहायिकी	10		
निवेश से आय	11		
अर्जित ब्याज	12		
अन्य आय	13		
अवधि पूर्व की आय	14		
कुल (क)			
व्यय			
स्टाफ भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)	15		
शैक्षिक व्यय	16		
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17		
परिवहन व्यय	18		
मरम्मत और रखरखाव व्यय	19		
वित्त लागतें	20		
ह्रास मूल्य	4		
अन्य व्यय	21		
अवधि पूर्व व्यय	22		
कुल (ख)			
व्यय से अधिक आय होने पर शेष (क-ख)			
निर्धारित निधि में/से अंतरण			
निर्माण कोष			
अन्य (उल्लेख करें)			
पूंजीगत निधि से जमा अधिशेष/(घाटा)			

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 23

खातों की आकस्मिक देयताएं एवं नोट्स 24

तुलनपत्र की अनुसूचियों के भाग

सूची 1 - कायिक/पूंजीगत निधि

राशि रूपये में

विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वर्ष के आरंभ में अधिशेष		
जमा करें:	कायिक/पूंजीगत निधि से योगदान		
जमा करें:	पूंजीगत व्यय के लिए यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के उपयोग की सीमा		
जमा करें:	निर्धारित निधि से खरीदी गई परिसंपत्तियां		
जमा करें:	प्रायोजित परियोजनाओं से खरीदी हुई परिसंपत्तियां, जहां स्वामित्व संस्था में ही निहित है		
जमा करें:	दान दी गई परिसंपत्तियां/प्राप्त उपहार		
जमा करें:	अन्य योग		
जमा करें:	आय एवं व्यय खाते से अंतरित व्यय से अधिक आय		
सम्पूर्ण			
(घटाना)	आय एवं व्यय खाते से अंतरित घाटा		
वर्ष की समाप्ति पर बकाया			

<u>सूची 2 - नामित/उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियां</u>

राशि रूपये में

विवरण	निधि वार ब्रेकअप				कुल	
	कोष एएए	कोष बीबीबी	कोष सीसीसी	बंदोबस्ती कोष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क.						
क) अथशेष राशि						
ख) वर्ष के दौरान जमा						
ग) निधि के निवेश से आय						
घ) अग्रिमों/निवेश पर अर्जित ब्याज						
ड.) बचत बैंक खाते पर ब्याज						
च) अन्य धनराशि (उल्लेख करें)						
कुल (क)						
ख.						
निधि के उद्देश्यों पर व्यय/उपयोगिता						
i) पूंजीगत व्यय						
ii) राजस्व व्यय						
कुल (ख)						
वर्ष की समाप्ति पर अंतशेष	एक्सएक्स	वाईवाई	जेडजेड	एलएल		
द्वारा प्रस्तुत						
नकद एवं बैंक अधिशेष						
निवेश						
अर्जित ब्याज जो देय नहीं						
कुल	एक्सएक्स	वाईवाई	जेडजेड	एलएल		

अनुसूची 2ए
बंदोबस्ती निधि

''उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि'' अनुसूची में 'बंदोबस्ती निधि' के कॉलम के आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए उप-अनुसूची का नमूना प्रपत्र - जो तुलन-पत्र का एक भाग है।

राशि रूपये में

1. क्र.सं.	2. बंदोबस्ती का नाम	अथशेष		वर्ष के दौरान जमा		कुल		वर्ष के दौरान वस्तु पर व्यय	अंतशेष		कुल (10+11)
		3. बंदोबस्ती	4. संचित ब्याज	5. बंदोबस्ती	6. ब्याज	7. बंदोबस्ती (3+5)	8. संचित ब्याज (4+6)	9.	10. बंदोबस्ती	11. संचित ब्याज	
	कुल										

टिप्पणी

1. कॉलम 3 एवं 4 का योग उद्दिष्ट निधि की अनुसूची के 'बंदोबस्ती निधि' कॉलम का अथशेष के रूप में दर्शाया जाएगा जो तुलन-पत्र का एक भाग होगा।
2. कॉलम 9 का कुल योग सामान्य तौर पर कॉलम 8 के कुल योग से कम होना चाहिए, चूंकि वस्तु व्यय पर केवल ब्याज का उपयोग किया जाना चाहिए।*
3. सामान्य रूप से अनुसूची में शेष डेबिट नहीं होना चाहिए। खास मामलों में, यदि स्थायी निधियों के विरूद्ध कोई डेबिट शेष रहता है तो डेबिट शेष को अनुसूची-8 ऋण, अग्रिम और जमा राशि में ''प्राप्तियों'' के रूप में तुलनपत्र के परिसम्पतियों के कॉलम में दर्शाया जाना चाहिए।

* (कुर्सियों की बंदोबस्ती निधि को छोड़कर)

अनुसूची 3 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

राशि रूपये में

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान देयताएं		
1. कर्मचारियों से प्राप्त जमा राशि		
2. विद्यार्थियों से प्राप्त जमा राशि		
3. विविध जमाकर्ता		
क) वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु		
ख) अन्य		
4. अन्य जमा (ईएमडी, प्रतिभूति जमा राशि सहित)		
5. सांविधिक देयताएं (जीपीएफ, टीडीएस, डब्ल्यूसी टैक्स, सीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस):		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6. अन्य वर्तमान देयताएं		
क) वेतन		
ख) प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां		
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के लिए प्राप्तियां		
घ) अनुपयोगी अनुदान		
ड.) अग्रिम अनुदान		
च) अन्य निधियां		
छ) अन्य देयताएं		
कुल (क)		
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. उपदान		
3. सेवानिवृत्ति पेंशन		
4. अर्जित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी/दावे		
6. अन्य (स्पष्ट करें)		
कुल (ख)		
कुल (क + ख)		

टिप्पणी: अनुपयोगी अनुदान 6(घ) में अगले वर्ष के लिए अग्रिम स्वरूप प्राप्त अनुदानों को शामिल किया जाएगा।

अनुसूची - 3(क) प्रायोजित परियोजनाएं

राशि रूपये में

1. क्र.सं.	2. परियोजना का नाम	अथशेष		5. वर्ष के दौरान प्राप्तियां/वसूलियां	6. कुल	7. वर्ष के दौरान किया गया व्यय	अंतशेष	
		3. क्रेडिट	4. डेबिट				8. क्रेडिट	9. डेबिट
	कुल							

1. परियोजनाओं को प्रत्येक एजेंसी के उप-योग सहित एजेंसी-वार सूचीबद्ध किया जा सकता है।

2. कॉलम 8 का कुल, तुलनपत्र (अनुसूची 3) की देयता कॉलम के उपर्युक्त शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा।

3. कॉलम 9 (डेबिट) का कुल तुलनपत्र के परिसंपत्ति कॉलम में अनुसूची 8, ऋण, अग्रिम और जमा राशि में प्राप्तियों के रूप में दर्शाया जाएगा।

<u>अनुसूची 3 (ख) प्रायोजित अध्येतावृत्तियां एवं छात्रवृत्तियां</u>

राशि रूपये में

1 क्र.सं.	2. प्रायोजक का नाम	अथशेष 01.04..... को		वर्ष के दौरान लेन देन		31.03..... को अंतशेष	
		3	4	5	6	7	8
		सीआर.	डीआर.	सीआर.	डीआर.	सीआर.	डीआर.
1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग						
2	मंत्रालय						
3	अन्य (अलग-अलग दर्शाया जाए)						
	कुल						

टिप्पणी:

1. कॉलम 7, (क्रेडिट) का कुल तुलनपत्र (अनुसूची 3) के देयता कॉलम के उपर्युक्त शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा।

2. कॉलम 8 (डेबिट) का कुल अनुसूची 8 (ऋण, अग्रिम एवं जमा राशियां) के तुलनपत्र में प्राप्य परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जाएगा।

अनुसूची 3 (ग) यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

राशि रूपये में

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. योजना अनुदान: भारत सरकार आगे लाया गया शेष जमा करें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
कुल (क)		
घटाएं: प्रतिदाय घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त राशि घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त राशि		
कुल (ख)		
अप्रयुक्त राशि आगे लाई गई (क-ख)		
ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान: योजना आगे लाया गया शेष जमा करें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
कुल (ग)		
घटाएं: प्रतिदाय घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त राशि घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त राशि		
कुल (घ)		
अप्रयुक्त राशि आगे लाई गई (ग-घ)		
ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनेत्तर अनुदान आगे लाया गया शेष		

जमा करें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
कुल (ड.)		
घटाएं: प्रतिदाय घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त राशि घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त राशि		
कुल (च)		
अप्रयुक्त राशि आगे जोड़ी गई (ड.-च)		
घ. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान आगे लाया गया शेष जमा करें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
कुल (छ)		
घटाएं: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त राशि घटाएं: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त राशि		
कुल (ज)		
अप्रयुक्त राशि आगे लाई गई (छ-ज)		
कुल योग (क+ख+ग+घ)		

टिप्पणी:-

- पूंजीगत खाते के अग्रिम में अप्रयुक्त अनुदान शामिल हैं।
- अगले वर्ष में प्राप्त अग्रिम अनुदान में अप्रयुक्त अनुदान शामिल हैं।
- अप्रयुक्त अनुदानों को बैंक शेष, अल्पावधि जमा और पूंजीगत खाते पर अग्रिमों द्वारा परिसंपत्ति कॉलम में दर्शाया जाता है।

अनुसूची 4 - अचल परिसंपत्तियां

इस शीर्ष के तहत वर्गीकरण एवं स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

1. भूमि	इसमें फ्रीहोल्ड भूमि और लीजहोल्ड भूमि शामिल हैं, इन्हें अलग-अलग दर्शाया जाए।
2. स्थल विकास	
3. भवन	इसमें संस्थाओं के भवन जैसे महाविद्यालय भवन, कार्यालय भवन, कर्मचारी आवासीय भवन, छात्रावास भवन, अस्थायी अवसंरचना एवं शेड शामिल हैं।
4. संयंत्र एवं मशीनरी	इनमें एयर कंडीश्नर, वॉटर/एयर कूलर, जेनरेटर सेट्स, टेजीविज़न सेट्स, अग्निशमन यन्त्र आदि शामिल हैं।
5. विद्युत उपकरण	इनमें इलैक्ट्रिकल फिक्सचर एवं फिटिंग्स जैसे पंखे एवं ट्यूबलाइट फिटिंग्स शामिल हैं।
6. ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति	ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली अलग श्रेणी में दर्शाये जा सकते हैं।
7. कार्यालय उपकरण	इस तरह की वस्तुएं जैसे फैक्स मशीन, फोटोकॉपियर्स, ईपीबीएक्स, टाइपराइटर्स, डुप्लीकेटिंग मशीनें आदि शामिल हैं।
8. प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण	ऐसी वस्तुएं जैसे माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप, डिसेक्शन उपकरण, ग्लास एपरेट्स, माप उपकरण एवं अन्य प्रकार की प्रयोगशाला सामग्री शामिल हैं।
9. दृश्य श्रव्य उपकरण	टेजीविजन सेट्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टैपरिकाडर्स, डीवीडी/वीसीडी प्लेयर, कैमरा, मूवी प्रोजेक्टर्स आदि शामिल हैं।
10. फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग	वस्तुएं जैसे डेस्क/बैंच, दराज, अल्मारी, मेजें, कुर्सियां और पार्टीशन आदि।
11. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स	कम्प्यूटर्स प्रिन्टर्स एवं अन्य पेरीफेरल्स जैसे यूपीएस आदि शामिल हैं।
12. खेल सामग्री	वस्तुएं जैसे टेबल टेनिस, मेज एवं जिम उपकरण शामिल हैं।
13. वाहन	बसें, लॉरियां, वैन, कारें, स्कूट्स आदि शामिल हैं।
14. पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स	पुस्तकालय में पुस्तकें/वैज्ञानिक पत्र शामिल होंगे।
15. अमूर्त परिसंपत्तियां	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट एवं अलग से निर्दिष्ट ट्रेडमार्क्स, ई-जर्नल्स शामिल हैं।
16. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	निर्माण के दौरान अचल परिसंपत्तियों को उनके इच्छित प्रयोग हेतु तैयार होने तक इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए जाने चाहिए। प्राप्त संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण एवं लंबित स्थापना और कमीशनिंग को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

अनुसूची 4 - अचल परिसंपतियां

राशि रूपये में

क्र.सं.	परिसंपति शीर्ष	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक	
		अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03....	31.03....
1	भूमि										
2	स्थल विकास										
3	भवन										
4	सड़क एवं सेतु										
5	ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति										
6	सीवरेज एवं जलनिकास										
7	विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण										
8	संयंत्र एवं मशीनरी										
9	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण										
10	कार्यालय उपकरण										
11	दृश्य श्रव्य उपकरण										
12	कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल्स										
13	फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग										
14	वाहन										
15	पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स										
16	कम मूल्य परिसंपतियां										
	कुल (क)										
17	चल रहे पूंजीगत कार्य (ख)										

क्र.स.	अमूर्त परिसंपत्तियां	अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास/ समायोजन	31.03....	31.03....
18	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर										
19	ई-जर्नल्स										
20	पेटेन्ट										
कुल (ग)											

कुल योग (क+ख+ग)										

टिप्पणी: पूंजीगत कार्य शीर्ष के तहत सकल ब्लॉक के अंतर्गत 'कटौतियां' कॉलम के आंकड़े वर्ष के दौरान (प्रगति) चल रहे कार्यों का परिसम्पतियों में अंतरण को दर्शाते हैं।

1 से 14 परिसंपतियों के लिए सकल ब्लॉक के तहत वर्ष के दौरान 'जमा' कॉलम के आंकड़ों में वर्ष के दौरान अधिग्रहणों के साथ-साथ जारी कार्य से अंतरण शामिल हैं।

अनुसूची 4क योजनागत

राशि रूपये में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक	
		अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास/ समायोजन	31.03....	31.03....
1	भूमि										
2	स्थल विकास										
3	भवन										
4	सड़क एवं सेतु										
5	ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति										
6	सीवरेज एवं जलनिकास										
7	विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण										
8	संयंत्र एवं मशीनरी										
9	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण										
10	कार्यालय उपकरण										
11	दृश्य श्रव्य उपकरण										
12	कम्प्युटर एवं पेरीफेरल्स										
13	फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग										
14	वाहन										
15	पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स										
16	कम मूल्य परिसंपत्तियां										
	कुल (क)										
17	चल रहे पूंजीगत कार्य (ख)										

क्र.स.	अमूर्त परिसंपत्तियां	अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास/ समायोजन	31.03....	31.03....
18	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर										
19	ई-जर्नल्स										
20	पेटेन्ट										
कुल (ग)											

कुल योग (क+ख+ग)										

अनुसूची 4ख गैर-योजनागत

राशि रूपये में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	कुल ब्लॉक		मूल्यह्रास ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक			
		अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास/ समायोजन	31.03....	31.03....
1	भूमि										
2	स्थल विकास										
3	भवन										
4	सड़क एवं सेतु										
5	ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति										
6	सीवरेज एवं जलनिकास										
7	विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण										
8	संयंत्र एवं मशीनरी										
9	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण										
10	कार्यालय उपकरण										
11	दृश्य श्रव्य उपकरण										
12	कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल्स										
13	फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग										
14	वाहन										
15	पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स										
16	कम मूल्य परिसंपत्तियां										
	कुल (क)										
17	चल रहे पूंजीगत कार्य (ख)										

क्र.स.	अमूर्त परिसंपत्तियां	अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास/ समायोजन	31.03....	31.03....
18	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर										
19	ई-जर्नल्स										
20	पेटेन्ट										
कुल (ग)											

कुल योग (क+ख+ग)										

अनुसूची 4ग - अमूर्त परिसम्पत्तियां

राशि रूपये में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक	
		अथशेष	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास/ परिशोधन अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास/ परिशोधन	31.03	31.03
1	पेटेंट्स एवं कॉपीराइट										
2	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर										
3	ई-जर्नल्स										

अनुसूची 4(ग) (i) - पेटेंट और कॉपीराइट

राशि रूपये में

विवरण	अथशेष	जोड़	सकल	ऋण मुक्ति	शुद्ध ब्लॉक 20.....	शुद्ध ब्लॉक 20.....
क. प्रदान किए गए पेटेंट 1. वर्ष 2008-09 में प्राप्त पेटेंट के 31.03.14 को शेष (वास्तविक मूल्य - रू...../-) 2. वर्ष 2010-11 में प्राप्त पेटेंट के 31.03.14 को शेष (वास्तविक मूल्य - रू...../-) 3. वर्ष 2012-13 में प्राप्त पेटेंट के 31.03.14 को शेष (वास्तविक मूल्य - रू...../-) 4. वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदान किए गए पेटेंट						
कुल						

विवरण	अथशेष	जोड़	सकल	प्रदान किए गए/रद्द पेटेंट	शुद्ध ब्लॉक 20.....	शुद्ध ब्लॉक 20.....
ख. 1. वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान किया गया व्यय 2. वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया व्यय 3. वर्ष 2013-14 के दौरान किया गया व्यय						
कुल						

ग. सकल योग (क+ख)						

टिप्पणी: भाग क में जोड़ (प्रदान किए गए पेटेंट), भाग ख (कॉलम - प्रदान किए गए/रद्द पेटेंट) से अंतरित वर्ष के दौरान प्रदान किए गए पेटेंट के आंकड़े होंगे। वर्ष के दौरान रद्द अनुदान के लिए राशि आय और व्यय खाते में बट्टे खाते में डाल दिए गए।

अनुसूची 4घ अन्य

राशि रूपये में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक	
		अथशेष 01.04....	जमा	कटौतियां	अंतशेष	मूल्यह्रास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	कटौतियां/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03....	31.03....
1	भूमि										
2	स्थल विकास										
3	भवन										
4	सड़क एवं सेतु										
5	ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति										
6	सीवरेज एवं जलनिकास										
7	विद्युत प्रतिष्ठापन एवं उपकरण										
8	संयंत्र एवं मशीनरी										
9	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण										
10	कार्यालय उपकरण										
11	दृश्य श्रव्य उपकरण										
12	कम्प्युटर एवं पेरीफेरल्स										
13	फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग										
14	वाहन										
15	पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक पत्र										
16	लघु मूल्य परिसंपतियां										
	कुल:										
17	चल रहे पूंजीगत कार्य										
	कुल योग										

टिप्पणी: वर्ष के दौरान जमा में निम्नलिखित से जमा शामिल हैं।

दिया गया उपहार

निर्धारित निधियां

प्रायोजित परियोजनाएं

अपनी निधियां

कुल

अनुसूची 5: निर्धारित/धर्मदाय निधियों से निवेश

राशि रूपये में

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1 केन्द्र सरकार प्रतिभूतियां 2 राज्य सरकार प्रतिभूतियां 3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 4 शेयर 5 डिबेंचर एवं बांड 6 बैंक में आवधिक जमा 7 अन्य (निर्दिष्ट किए जाने)		
कुल		

अनुसूची 5 (क): निर्धारित/धर्मदाय निधियों से निवेश (निधि के अनुसार)

राशि रूपये में

क्र.सं.	निवेश	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1			
2			
3			
4			
5	धर्मदाय निधियों से निवेश		
	कुल		

टिप्पणी: इस उप अनुसूची में दिया गया कुल अनुसूची 5 में दिए गए कुल के अनुकूल होगा।

अनुसूची 6: निवेश - अन्य

राशि रूपये में

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्र सरकार प्रतिभूतियां		
2. राज्य सरकार प्रतिभूतियां		
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
4. शेयर		
5. डिबेंचर एवं बांड		
6. अन्य (निर्दिष्ट किए जाने)		
कुल		

अनुसूची 7: वर्तमान परिसंपत्तियां

राशि रूपये में

	वर्तमान वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. स्टॉक		
क) भंडारण एवं पुर्जे		
ख) फुटकर औजार		
ग) प्रकाशन		
घ) प्रयोगशाला रसायन, सामग्री और कांच का सामान		
ङ) भवन सामग्री		
च) बिजली उपकरण		
छ) लेखन सामग्री		
ज) जल आपूर्ति सामग्री		
2. विविध देनदान		
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए शेष ऋण		
ख) अन्य		
3. नगद एवं बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंक के साथ:		
- चालू खातों में		
- आवधिक जमा खाते		
- बचत खाते		
ख) गैर-अधिसूचित बैंक के साथ:		
- आवधिक जमा खातों में		
- बचत खातों में		
4. पोस्ट ऑफिस - बचत खाते		
कुल		

टिप्पणी: संलग्नक(क) बैंक खातों के ब्यौरों को दर्शाता है।

संलग्नक (क)

राशि रूपये में

I. बचत बैंक खाते	
1. यूजीसी खाते से अनुदान	
2. विश्वविद्यालय प्राप्तियां खाते	
3. छात्रवृत्ति खाते	
4. शैक्षिक शुल्क प्राप्ति खाते	
5. विकास (योजनागत) खाते	
6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा	
7. यूजीसी योजनागत छात्रवृत्ति खाते	
8. कायिक निधि खाते (ईएमएफ)	
9. प्रायोजित परियोजना निधि खाते	
10. प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाते	
11. धर्मदाय एवं पीठ खाते (ईएमएफ)	
12. यूजीसी जेआरएफ अध्येतावृत्ति खाते (ईएमएफ)	
13. एचबीए निधि खाते (ईएमएफ)	
14. यात्रा खाते (ईएमएफ)	
15. यूजीसी राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति खाते (ईएमएफ)	
16. शैक्षिक विकास निधि खाते (ईएमएफ)	
17. जमा खाते	
18. विद्यार्थी निधि खाते	
19. विद्यार्थी सहायता निधि खाते	
20. विशिष्ट योजनाओं के लिए योजनागत अनुदान	
II. वर्तमान खाते	
III. अनुसूचित बैंक के साथ आवधिक जमा	
कुल	

अनुसूची 8: ऋण, अग्रिम और जमा

राशि रूपये में

	वर्तमान वर्ष	**पूर्व वर्ष**
1. कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज दर लागू नहीं)		
क) वेतन		
ख) त्यौहार		
ग) चिकित्सा अग्रिम		
घ) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
2. कर्मचारियों के लिए लंबी आवधिक अग्रिम (ब्याज दर लागू)		
क) वाहन ऋण		
ख) आवास ऋण		
ग) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
3. अग्रिम एवं अन्य राशि नगद या उस मूल्य के लिए या प्रकार में वसूली योग्य		
क) पूंजीगत खाते पर		
ख) सप्लायर के लिए		
ग) अन्य		
4. पूर्वदात व्यय		
क) बीमा		
ख) अन्य व्यय		
5. जमा		
क) टेलीफोन		
ख) पट्टे का किराया		
ग) बिजली		
घ) एआईसीटीई, यदि लागू हो तो		

ङ) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
6. अर्जित आय:		
क) निर्धारित/धर्मदाय निधियों के लिए किए गए निवेश पर		
ख) निवेश पर - अन्य		
ग) ऋण और अग्रिम पर		
घ) अन्य (जारी न की गई देय राशि सहित)		
7. अन्य - यूजीसी/प्रायोजित परियोजनाओं से वर्तमान परिसंपत्तियों से प्राप्तियां		
क) प्रायोजित परियोजनाओं में डेबिट शेष		
ख) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों में डेबिट शेष		
ग) प्राप्त अनुदान		
घ) यूजीसी से अन्य प्राप्तियां		
8. प्राप्य दावे		
कुल		

टिप्पणी:

1. यदि कर्मचारियों को मकान बनाने, कम्प्यूटर और वाहन अग्रिम के लिए आवर्ती निधियां बनाई जाती हैं तो ऐसी अग्रिम राशि को निर्धारित/धर्मदाय निधियों के भाग के रूप में दर्शाया जाएगा। इस लागू ब्याज दर वाली अग्रिम राशि के लिए शेष को इस अनुसूची में नहीं दर्शाया जाएगा।

आय और व्यय खाते की अनुसूची के फॉर्मेटिंग भाग

अनुसूची 9: शैक्षिक प्राप्तियां

राशि रूपये में

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क		
शैक्षिक		
1. ट्यूशन शुल्क		
2. प्रवेश शुल्क		
3. नामांकन शुल्क		
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क		
5. प्रयोगशाला शुल्क		
6. कला एवं शिल्प शुल्क		
7. पंजीकरण शुल्क		
8. पाठ्यक्रम शुल्क		
कुल (क)		
परीक्षा		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क		
3. अंक तालिका, प्रमाणपत्र शुल्क		
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
कुल (ख)		
अन्य शुल्क		
1. परिचय पत्र शुल्क		
2. जुर्माना/विविध शुल्क		
3. चिकित्सा शुल्क		

4. यात्रा शुल्क		
5. छात्रावास शुल्क		
कुल (ग)		
प्रकाशन विक्रय		
1. प्रवेश फार्म विक्रय		
2. पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र आदि विक्रय		
3. प्रवेश फार्म सहित विवरणिका विक्रय		
कुल (घ)		
अन्य शैक्षिक प्राप्तियां		
1. कार्यशालाओं, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क		
2. पंजीकरण शुल्क (शैक्षिक कर्मचारी कॉलेज)		
कुल (ड.)		
कुल योग (क+ख+ग+घ+ड.)		

टिप्पणी:

शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, अंशदान आदि सामग्री के मामले में और इनके पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति के मामले में, ऐसी राशि की पहचान पूंजीगत निधि के रूप में की जानी चाहिए। अन्यथा ऐसे शुल्क इस अनुसूची में उचित रूप से शामिल किए जाएंगे।

अनुसूची 10 - अनुसूची/सहायिकी (प्राप्त रियर अनुदान)

राशि रूपये में

विवरण	योजनाएं			कुल योजनागत	कुल योजनेत्तर	वर्तमान वर्ष कुल	पूर्व वर्ष कुल
	भारत सरकार	यूजीसी					
		योजनागत	विशिष्ट योजना				
आगे लाया गया शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां							
कुल							
घटा: यूजीसी को प्रतिदाय शेष घटा: पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग किया गया (क)							
शेष							
घटा: राजस्व जमा हेतु उपयोग किया गया (ख)							
आगे ले जाया गया शेष							

क- वर्ष के दौरान स्थित परिसंपत्तियों के लिए जमा के साथ-साथ पूंजीगत निधियों के लिए जमा के रूप में दर्शाया गया है।

ख- आय और व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाया गया है।

ग- (i) तुलनपत्र में वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाया गया है और अगले वर्ष यह अथशेष होगा।

(ii) परिसंपत्तियों के कॉलम में बैंक शेष, निवेश और अग्रिम द्वारा दर्शाया गया है।

अनुसूची 11 - निवेश से आय

राशि रूपये में

विवरण	निर्धारित/धर्मदाय निधि		अन्य निवेश	
	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज क. सरकारी प्रतिभूतियों पर ख. अन्य बांड/डिबेंचर 2. आवधिक जमा पर ब्याज 3. आय उपार्जित की गई लेकिन कर्मचारियों द्वारा वहन किए गए अग्रिम पर आवधिक जमा/ब्याज पर देय नहीं है। 4. बचत और खातों पर ब्याज 5. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल				
निर्धारित/धर्मदाय निधियों में अंतरित				
शेष	**शून्य**	**शून्य**		

टिप्पणी: ब्याज उपार्जित किया गया लेकिन गृह निर्माण अग्रिम निधि, यात्रा अग्रिम निधि और कम्प्यूटर अग्रिम निधि से प्राप्त आवधिक जमा राशि पर देय नहीं है और कर्मचारियों के लिए अग्रिम ब्याज केवल वहां शामिल (मद 3) होगा जहां ऐसी अग्रिम राशि के लिए शेष राशि निधियां स्थापित की गई हैं।

अनुसूची 12: अर्जित ब्याज

राशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. अनुसूचित बैंकों में बचत खाते 2. ऋण पर क. कर्मचारी/स्टाफ ख. अन्य 3. देनदार और अन्य प्राप्तियों पर		
कुल		

टिप्पणी:

1. निर्धारित/धर्मदाय निधियों के बैंक खातों के संबंध में मद 1 में दी गई राशि अनुसूची 11 (पहला भाग) और अनुसूची 2 से संबंधित है।

2. ऐसी अग्रिम राशि के लिए शेष राशि निधियों के गठित न किए जाने पर ही मद 2 (क) लागू है।

अनुसूची 13 - अन्य आय

- विविध आय में शामिल सामग्री राशि की मदें अलग से दर्शाई जानी चाहिए।

राशि रूपये में

क. भूमि एवं भवन से प्राप्त आय	**वर्तमान वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
1. छात्रावास कमरे का किराया		
2. लाइसेंस शुल्क		
3. सभागार/खेल के मैदान/कन्वेंशन सेन्टर आदि को किराए पर देने का प्रभार		
4. वसूले गए बिजली प्रभार		
5. वसूले गए पानी प्रभार		
कुल		
ख. संस्थान के प्रकाशन की बिक्री		
ग. आयोजनों से प्राप्त आय		
1. वार्षिक समारोह/खेल मेलों से प्राप्त सकल प्राप्तियां		
घटा: वार्षिक समारोह/खेल मेलों पर किया गया सीधा व्यय		
2. उत्सवों से प्राप्त सकल प्राप्तियां		
घटा: उत्सवों पर व्यय किया गया सीधा व्यय		
3. शैक्षिक दौरों के लिए सकल प्राप्तियां		
घटा: दौरों पर किया गया सीधा व्यय		
4. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए और अलग से दर्शाया जाए)		
कुल		
घ. अन्य		
1. परामर्श से प्राप्त आय		
2. आरटीआई शुल्क		
3. रॉयल्टी से प्राप्त आय		

4. आवेदन की बिक्री (भर्ती)		
5. विविध प्राप्तियां (टेंडर फार्म, रद्दी आदि की बिक्री)		
6. बिक्री पर लाभ/परिसंपत्तियों का निपटान		
क) स्वामित्व वाली संपत्ति		
ख) प्राप्त नि:शुल्क परिसंपत्तियां		
7. संस्थाओं, कल्याण निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त अनुदान/दान		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल		
सकल योग (क+ख+ग+घ)		

अनुसूची 14 - पूर्व अवधि आय

राशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. शैक्षिक प्राप्तियां		
2. निवेश से प्राप्त आय		
3. अर्जित ब्याज		
4. अन्य अय		
कुल		

अनुसूची 15 - कर्मचारी भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)

- शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों; तदर्थ कर्मचारी के लिए अलग से वर्गीकरण किया जाएगा। वेतन वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता, वेतन बकाया अलग से दर्शाया जाएगा।

राशि रूपये में

	वर्तमान वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजनागत	**योजनेत्तर**	**कुल**	**योजनागत**	**योजनेत्तर**	**कुल**
क) वेतन और मजदूरी						
ख) भत्ते और बोनस						
ग) भविष्य निधि के लिए अंशदान						
घ) अन्य निधि के लिए अंशदान (उल्लेख करें)						
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय						
च) सेवानिवृत्ति और सेवांत हित लाभ						
छ) एलटीसी सुविधा						
झ) चिकित्सा सुविधा						
ञ) बाल शिक्षा भत्ता						
ट) मानदेय						
ठ) अन्य (उल्लेख करें)						
कुल						

<u>अनुसूची 15 क - कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ</u>

राशि रूपये में

	पेंशन	**उपदान**	**अवकाश नकदीकरण**	**कुल**
..... को अथशेष				
जमा: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान का पूंजीकृत मूल्य				
कुल (क)				
घटा: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)				
31.03 को उपलब्ध शेष ग (क-ग)				
वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.03 को प्राप्त प्रावधान				
क. वर्तमान वर्ष में बनाए गए प्रावधान (घ - ग)				
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति घ. सेवानिवृत्ति पर होमटाउन में की गई यात्रा ड. जमा सह बीमा भुगतान				
कुल (क+ख+ग+घ+ड.)				

टिप्पणी:

1. अनुसूची 15 में भर्ती और सेवांत लाभ के लिए कुल (क+ख+ग+घ+ड.) इस उप अनुसूची में दिए जाएंगे।
2. मद ख, ग, घ और ड. की वास्तविक आधार पर गणना की जाएगी और इसमें मुख्य बिल शामिल किए जाएंगे लेकिन इसमें 31/3 को भुगतान हेतु बकाया है।

अनुसूची-16-अकादमिक व्यय

(धनराशि रु. में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
क) प्रयोगशाला व्यय						
ख) क्षेत्र कार्य/सम्मेलनों में भागीदारी						
ग) संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय						
घ) अतिथि संकाय को भुगतान						
ड.) परीक्षा						
च) विद्यार्थी कल्याण व्यय						
छ) प्रवेश व्यय						
ज) दीक्षान्त समारोह व्यय						
झ) प्रकाशन						
ञ) स्टाइपेंड/साधन-सह मैरिट-छात्रवृत्ति						
ट) अभिदान व्यय						
ठ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
कुल						

अनुसूची-17-प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(घनराशि रु. में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
क अवसरंचना						
क) बिजली और पावर						
ख) जल प्रभार						
ग) बीमा						
घ) किराया, दर और कर तथा सम्पत्ति कर						
ख पत्र व्यवहार						
ड.) डाक और स्टेशनरी						
च) टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार						
ग अन्य						
छ) मुद्रण और स्टेशनरी (उपयोग)						
ज) यात्रा और वाहन व्यय						
झ) आतिथ्य						
ञ) लेखा-परीक्षक पारिश्रमिक						
ट) व्यावसायिक प्रभार						
ठ) विज्ञापन और प्रचार						
ड) पत्र, पत्रिकाएं						
ढ) अन्य, (विनिर्दिष्ट करें)						
कुल						

अनुसूची-18-परिवहन व्यय

(धनराशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1. संस्थान के सवामित्व वाले वाहन क) आवर्ती व्यय ख) मरम्मत एवं अनुरक्षण ग) बीमा व्यय 2. किराए/पट्टे पर लिए गए वाहन क) किराया/पट्टा व्यय 3. वाहन (टैक्सी) किराया व्यय						
योग						

अनुसूची-19-मरम्मत और अनुरक्षण

(धनराशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
क) भवन ख) फर्नीचर एवं फिक्श्चर ग) संयत्र एवं मशीनरी घ) कार्यालय उपकरण ड.) कम्प्यूटर्स च) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण छ) श्रव्य दृश्य उपकरण ज) साफ-सफाई सामग्री एवं सेवाएं झ) जिल्दबंदी प्रभार ञ) बागवानी ट) सम्पदा अनुरक्षण ठ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
योग						

अनुसूची-20-वित्तीय लागत

(धनराशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
क) बैंक प्रभार ख) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
योग						

नोट: यदि यह राशि सामग्री नहीं है तो बैंक प्रभार शीर्ष को हटाया जा सकता है और इन्हें अनुसूची 17 में प्रशासनिक व्यय के रूप में गिना जा सकता है।

अनुसूची-21 अन्य व्यय

(धनराशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
क) अशोध्य अथवा संदेहास्पद कर्ज/अग्रिम के लिए प्रावधान ख) वसूल न किए जा सकने वाले शेष को बट्टा खाते डालना ग) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान/आर्थिक सहायता घ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
योग						

नोट: अन्य व्यय बट्टा खाते डालने, प्रावधान, विविध व्यय, निवेश की बिक्री से हानि/स्थायी सम्पत्ति की हानि और वर्गीकृतअचल सम्पत्तियों को बिक्री पर हानि आदि के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे और इन्हें तदनुसार दर्शाया जाएगा।

अनुसूची-22 पूर्व अवधि के व्यय

(धनराशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1. स्थापना व्यय						
2. अकादमिक व्यय						
3. प्रशासनिक व्यय						
4. परिवहन व्यय						
5. मरम्मत एवं अनुरक्षण						
6. अन्य व्यय						
कुल						

लेखाओं के भाग के रूप में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची:23

महत्वपूर्ण लेखांकन-नीतियां (अदाहरणात्मक)

1. लेखांकनों को तैयार करने का आधार

जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के अन्तर्गत और सामान्य रूप में लेखांकन के प्रोद्भवन पद्धति से तैयार किए जाते हैं।

2. राजस्व-मान्यता

2.1 छात्रों से प्राप्त शुल्क (शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त), प्रवेश-पत्रों की बिक्री, रॉयल्टी और सेविंग बैंक खाते पर ब्याज नकद आधार पर लेखांकित किए जाते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एकत्रित शिक्षा-शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

2.2 भूमि, भवनों और अन्य सम्प्त्तियों से प्राप्त अन्य आय और निवेशों से प्राप्त ब्याज, प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किए जाते हैं।

2.3 भवन निर्माण के लिए स्टाफ को दिए गए ब्याज वाहक अग्रिमों पर ब्याज, वाहनों और कम्प्यूटरों के क्रय को प्रत्येक वर्ष, प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है, तथापि, ब्याज की वास्तविक वसूली, मूलधन के पूर्ण रूप से, पुन: भुगतान हो जाने के पश्चात् प्रारंभ की जाती है।

3. नियत सम्पत्तियां और ह्रास

3.1 नियत सम्पत्तियों के उल्लेख, अर्जन के मूल्य पर किए जाते हैं, जिनमें, लाने के भाड़े, सीमा-शुल्क और कर एवं अर्जन से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय, स्थापन और कमीशन शामिल हैं।

3.2 उपहार प्रदत्त/दान प्रदत्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन, जहां पर उपलब्ध है, घोषित मूल्य पर, यदि उपलब्ध नहीं है, सम्पत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में समायोजन करके वर्तमान बाजार-मूल्य के आधार पर किया जाता है। वे ''क्रेडिट टु कैपिटल फण्ड'' द्वारा स्थापित किए जाते हैं और संस्थान की नियत सम्पत्तियों के साथ उनका विलय कर दिया जाता है। ह्रास का प्रभार, संबंधित सम्पत्तियों पर लागू दरों के आधार पर किया जाता है।

3.2 उपहार के रूप में पुस्तकों का मूल्यांकन, पुस्तकों पर मुद्रित विक्रय की कीमतों पर किया जाता है। जहां पर ये कीमतें मुद्रित नहीं हैं, मूल्य, निर्धारण पर आधारित होता है।

3.4 नियत सम्पत्तियों का मूल्यांकन, उसके मूल्य से एकत्रित ह्रास को घटाकर किया जाता है। नियत सम्पत्तियों पर ह्रास, सीधी पंक्ति पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) पर निम्नलिखित दरों से प्रदान किया जाता है:

मूर्त सम्पत्तियां:

1. भूमि	0%
2. स्थल विकास	0%
3. भवन	2%
4. सड़कें और पुल	2%
5. ट्यूब बेल और जलपूर्ति	2%
6. सीवरेज और जल निकासी	2%
7. इलैक्ट्रिकल स्थापना और उपकरण	5%
8. संयंत्र और मशीनरी	5%
9. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%
10. कार्यालय उपकरण	7.5%
11.श्रव्य-दृश्य उपकरण	7.5%
12. कम्प्यूटर और पेरीफेरल्स	20%
13. फर्नीचर, फिक्सर्स और फिटिंग	7.5%
14.वाहन	10%
15.पुस्तकालय-पुस्तकें और वैज्ञानिक जर्नल	10%

अमूर्त सम्पत्तियां (एमोर्टीजेशन):

1. ई-जर्नल	40%

2. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
3. पेटेंट्स और प्रतिलिप्यधिकार	9%

3.5 ह्रास, सम्पूर्ण वर्ष के लिए, वर्ष में की गई वृद्धियों पर प्रदान किया जाता है।

3.6 जहां पर कोई सम्पत्ति पूर्ण रूप से ह्रास के अन्तर्गत आ जाती है, तो यह सम्पत्ति तुलन-पत्र (बी.एस.) में 1 रूपए के अवशिष्ट मूल्य पर ले जाई जाती है और पुन: इसको ह्रास के अन्तर्गत नहीं लाया जाएगा। इसके पश्चात् उस सम्पत्ति-शीर्ष के लिए लागू दर पर अलग से ह्रास की गणना प्रत्येक वर्ष की बढ़ोत्तरियों पर की जाती है।

3.7 चिन्हित निधियों और प्रायोजित निधियों से सृजित सम्पत्तियां, जहां पर ऐसी सम्पत्तियों का स्वामित्व उस संस्थान में निहित है, वे सम्पत्तियां 'क्रेडिट टु फण्ड' द्वारा स्थापित की जाती हैं और संस्थान की नियत संपत्तियों के साथ उनका विलय कर दिया जाता है। संबंधित सम्पत्तियों पर लागू दरों पर ह्रास प्रभारित किया जाता है। प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से सृजित सम्पत्तियां, जहां पर उनका स्वामित्व प्रायोजकों द्वारा अपने पास रखा जाता है, परंतु उनको संस्थान द्वारा धारित और प्रयुक्त किया जाता है, उन सम्पत्तियों का खुलासा अलग से लेखाओं की टिप्पणियों में किया जाता है।

3.8 वे सम्पत्तियां, जिनका, प्रत्येक का निजी मूल्य 2000 रुपए या उससे कम है (पुस्तकालय की पुस्तकों के अतिरिक्त), उन्हें कम मूल्य की सम्पत्तियों के रूप में माना जाता है, उनके अर्जन के समय पर, ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में 100% ह्रास प्रदान किया जाता है। हालांकि ऐसी संपत्तियों के धारकों द्वारा उनके वास्तविक विवरण और नियंत्रण जारी रखे जाते हैं।

4. अमूर्त सम्पत्तियां: पेटेंट्स और प्रतिलिप्यधिकार, ई-जर्नल और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर अमूर्त सम्पत्तियों के समूह में वर्गीकृत किए जाते हैं।

4.1 पेटेंट्स : पेटेंट्स प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किया गया व्यय (आवेदन शुल्क, विधिक व्यय आदि) अस्थायी रूप में पूंजीगत होता है और तुलन-पत्र (बी.एस.) में इसको अमूर्त सम्पत्तियों के भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि पेटेंट्स के लिए आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं, तो, जिस वर्ष में आवेदन निरस्त किया गया था, उस वर्ष के आय और व्यय खाते में, उस विशेष पेटेंट्स पर किए गए संचयी

व्यय को बट्टे खाते (रिटेन ऑफ) कर दिया जाता है। स्वीकृत पेटेंट्स पर किया गया व्यय संरक्षणात्मक आधार पर 9 वर्ष से अधिक आयु पर बट्टे खाते किया जाता है।

4.2 इलैक्ट्रॉनिक जर्नलों (ई-जर्नल) को पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग इस दृष्टि कोण से किया गया है कि ऑनलाइन प्रवेश (एक्सेस) का दिया गया सीमित लाभ प्राप्त किया जा सके। ई-जर्नल मूर्त रूप में नहीं है, परंतु अस्थायी रूप से पूंजीगत किए गए हैं और व्यय के महत्व और शैक्षिक और अनुसंधान स्टाफ द्वारा प्राप्त किए गए स्थायी ज्ञानके रूप में प्राप्त लाभ की दृष्टि से, ई-जर्नलों के संबंध में, पुस्तकालय की पुस्तकों की तुलना में ह्रास 40% की उच्चतर दर पर प्रदान किया जाता है।
4.3 सॉफ्टवेयर के अर्जन पर किए गए व्यय को कम्प्यूटरों और पेरीफेरीज से अलग किया गया है, चूंकि यह अमूर्त सम्पत्तियों के अलावा हैं, इनके संबंध में प्राचीनता की दर बहुत ऊंची है। सॉफ्टवेयर के संबंध में ह्रास, कम्प्यूटर और पेरीफेरीज को दिए गए 20% के ह्रास की तुलना में 40% की उच्चतर दर पर प्रदान किया जाता है।

5. स्टाक:

रसायनों (केमिकल्स) शीशे से निर्मित सामग्री, प्रकाशनों और अन्य भण्डार की खरीद पर किए गए व्यय का लेखांकन राजस्व व्यय के रूप में किया जाता है, इसमें केवल यह शामिल नहीं है कि 31 मार्च धारित समापन-स्टॉक मूल्य को, विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर सापेक्षिक व्ययों को घटाकर इनवेंटरी के रूप में स्थापित किया जाता है। उनका मूल्यांकन लागत पर होता है।

6. सेवा-निवृत्ति के लाभ

सेवा-निवृत्ति के लाभ अर्थात् पेंशन, आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) और अवकाश नगदीकरण, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। संस्थान के कर्मचारी, जो इस संस्थान में आत्मसात कर लिए गए हैं, उनको पूर्व नियोक्ताओं से जो पेंशन और आनुतोषिक प्राप्त हुआ है, उसके पूंजीगत मूल्य को संबंधित प्रावधान खाते में जोड़ा (क्रेडिट)किया जाता है। प्रतिनियुक्ति से संबंधित कर्मचारियों से संबंधित पेंशन-अंशदान भी, पेंशन खाते के प्रावधान में क्रेडिट किया जाता है। पेंशन, ग्रेच्युइटी और अवकाश नगदीकरण के वास्तविक भुगतान, संबंधित प्रावधानों के खातों में डेबिट किए जाते हैं। अन्य सेवा-निवृत्ति के लाभ, उदाहरणार्थ-डिपोजिट लिंक्ड इंसूरैंस, नई पेंशन योजना का अंशदान, सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी पुनर्भुगतान और सेवा-निवृत्त होने पर गृह नगर की यात्रा के भुगतानों को वास्तविक आधार (वास्तविक भुगतान+वर्ष के अंत में बकाया बिल) पर लेखांकित किया जाता है।

7. निवेश

(क) दीर्घकालिक निवेश उनकी लागत या फेस वैल्यू, जो भी कम है, पर कैरी आउट किए जाते हैं। हालांकि, तुलन-पत्र (बी.एस) तैयार करने की तारीख पर उनके मूल्य में यदि कोई स्थायी घटाव है, तो उसको अंकित किया जाता है।

(ख) अल्पकालिक निवेश, उनकी लागत या बाजार-मूल्य (यदि दिया गया है) में जो भी कम है, पर कैरी आउट किए जाते हैं।

8. चिन्हि्त/स्थायी निधि

निम्नलिखित दीर्घकालिक निधियां विशिष्ट प्रयोजनों के लिए चिन्हि्त की गई हैं। प्रत्येक निधि का अपना अलग बैंक खाता है। जिन निधियों के खातों में वृहद धन-राशि शेष है, वे भी सरकारी सेक्योरिटीज, डिवेंचर और बाण्ड और बैंकों के साथ सावधि-जमा में निवेश करती हैं। निवेशों/अग्रिमों (भवन-निर्माण/वाहन और कम्प्यूटर अग्रिम) से प्रोद्भवन (एक्रूड) आधार पर आय और सेविंग बैंक खातों से प्राप्त ब्याज, संबंधित निधियों में क्रेडिट किए जाते हैं। व्यय और अग्रिम (भवन-निर्माण और वाहन (कम्प्यूटर के मामले में) निधियों में डेबिट किए जाते हैं। चिन्हि्त निधियों से सृजित की गई सम्पत्तियों, जहां पर, निधियों का स्वामित्व संस्थान में निहित है, वहां पर, पूंजी-निधि में समान राशि को क्रेडिट करके उन सम्पत्तियों का संस्थान की सम्पत्तियों के साथ विलय कर लिया जाता है। संबंधित निधि में शेष राशि (बैलेंस) कैरीड फारवर्ड करके, बैंक में शेष राशि (बैलेंस), निवेश और प्रोद्भवन (एक्रूड) ब्याज के द्वारा सम्पत्तियों की ओर प्रस्तुत किया जाता है।

8.1 समग्र निधि की स्थापना (वर्ष) में की गई थी। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त मैचिंग अंशदान, कॉलेजों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त मान्यता/ संबद्धता शुल्क, परामर्शिता शुल्क से संबंधित संस्थान का शेयर और अनुसंधान परियोजनाओं से प्राप्त अंशदान, समग्र निधि में वृद्धि करने वाली निधियों के रूप में माने जाते हैं। निधियों के निवेश की आय निधि में जोड़ दी जाती है। समग्र निधि का उपयोग, राजस्व और पूंजी-व्यय, के लिए किया जाता है जो विश्व विद्यालय अनुदान आयोग और समय-समय पर संस्थान का कार्यकारी परिषद् द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित होता है। समग्र निधि में माध्यम से सृजित की गई सम्पत्तियों, पूंजी-निधि में समान राशि क्रेडिट करके, संस्थान की सम्पत्तियों के साथ इन सम्पत्तियों का विलय कर दिया जाता है। समग्र निधि की शेष राशि, जिसको आगे ले जाया जाता है, उसको एक अलग के बैंक खाते, आरबीआई बाण्ड्स में निवेश और बैंक के साथ नियज जमा और निवेशों पर प्रोद्भूत (एक्रूड) ब्याज की शेष राशि (बैलेंस) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

8.2 ए.डी. निधि

इस निधि की स्थापना 1 फरवरी, 2006 को गई थी। इस निधि का उपयोग कुछ नवाचारी कार्यक्रमों और अनुसंधान के पोषण और ऐसे अन्य विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए करना होता है, जैसे समय-समय पर कार्यकारी परिषद् द्वारा उल्लिखित किए जाते हैं।

8.3 भवन-निर्माण अग्रिम निधि

एक आवर्ती निधि, जो अधिकारियों और स्टाफ को भवन-निर्माण के लिए ब्याज वाहक अग्रिम के भुगतान के प्रयोजन के लिए है।

8.4 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता निधि

कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं को अध्येतावृत्तियों का भुगतान करने के प्रयोजन से यूजीसी/सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि।

8.5 वाहन निधि (कम्प्यूटर अग्रिमों सहित)

एक आवर्ती निधि, जो अधिकारियों और स्टाफ को ब्याज वाहक अग्रिम के भुगतान के प्रयोजन के लिए है।

8.6 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपलब्ध कराई गई निधि।

8.7 अक्षय (स्थायी) निधियां

अक्षय निधियां ऐसी निधियां हैं जो विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों औरअन्य संगठनों से उनके द्वारा विर्निदिष्ट पीठों की और पदकों तथा पुरस्कारों की स्थापना के लिए प्राप्त की जाती हैं। जबकि, प्रत्येक अक्षय निधि के अपने निवेश होते हैं, सभी अक्षय निधियों के लिए एक बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि उन खातों में गैर-निवेश की गई शेष राशि (बैलेंस) नगण्य होती है।

प्रत्येक अक्षय निधि के निवेश की आय, निधि में जोड़ दी जाती है। बचत बैंक खातों का ब्याज, सभी अक्षय निधियों में, प्रत्येक निधि में वर्ष की समाप्ति को समापन शेष राशि (क्लोजिंग बैलेंस) के अनुपात में आबंटित कर दिया जाता है। पदकों और पुरस्कारों के व्यय को संबंधित

अक्षय निधि के निवेश से अर्जित ब्याज से पूरा किया जाता है और शेष राशि आगे ले जाई जाती (कैरीड फारवर्ड) है। पीठों के मामलों में, हालांकि, अक्षय निधि की समग्र राशि का भी उपयोग किया जाता है।

शेष राशियों (बैलेंसेज) को आरबीआई बाण्ड्स और सावधि जमाओं में निवेश द्वारा और सभी अक्षय निधियों के लिए समान बचत बैंक खाते में शेष राशि (बैलेंस) और निवेश पर एकत्रित ब्याज द्वारा निरुपित किया जाता है।

9. सरकारी और यूजीसी अनुदान

9.1 सरकारी और यूजीसी अनुदान प्राप्त होने के आधार पर लेखांकित किए जाते हैं। तथापि, जहां पर, वित्त वर्ष से संबंधित अनुदान के जारी करने की संस्वीकृति 31 मार्च के पूर्व प्राप्त हो जाती है और अनुदान वास्तविक रूप में अगले वित्त वर्ष में प्राप्त होता है, अनुदान प्रोद्भवन (एक्रूबल) आधार पर लेखांकित किया जाता है और समान राशि, अनुदान प्रदाता से वसूली योग्य प्रदर्शित की जाती है।

9.2 पूंजी व्यय की दिशा में उपयोग की गई सीमा तक (प्रोद्भवन आधार पर) सरकारी अनुदान और यूजीसी से प्राप्त अनुदान, पूंजी निधि में स्थान्तरित कर दिए जाते हैं।

9.3 राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए सरकारी और यूजीसी अनुदान (प्रोद्भवन आधार पर), उपयोग की गई सीमा तक, उस वर्ष की आय के रूप में माने जाते हैं, जिसमें वे प्राप्त किए जाते हैं।

9.4 बिना उपयोग में लाए गए अनुदान (ऐसे अनुदानों से भुगतान किए गए अग्रिमों सहित) आगे ले जाए जाते (कैरीड फारवर्ड किए जाते) हैं और उनको तुलन-पत्र (बी.एस.) में देनदारियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

10. चिन्हित निधियों के निवेश और ऐसे निवेशों पर प्रोद्भूत आय

उस सीमा तक जो तत्काल व्यय के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसी निधियों के विरुद्ध उपलब्ध राशियों को बचत बैंक खातों में शेष राशि (बैलेंस) छोड़कर अनुमोदित प्रतिभूतियों और बॉण्ड में निवेश कर दिया जाता है या बैंकों के साथ नियत अवधि के लिए जमा कर दिया जाता है।

ऐसे निवेशों पर प्राप्त ब्याज, प्रोद्भूत ब्याज और प्राप्य ब्याज और प्रोद्भूत ब्याज, परंतु जो अभी प्राप्य नहीं हैं, उनको संबंधित निधियों में जोड़ दिया जाता है और उन्हें संस्थान की आय नहीं माना जाता है।

11. प्रायोजित परियोजनाएं

11.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में, प्रायोजकों से प्राप्त राशियां ''चालू देनदारियां और प्रावधान-चालू देनदारियां-अन्य देनदारियां-चालू प्रायोजित परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्तियां'' शीर्षमें क्रेडिट कर दी जाती हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए जैसे ही और जब भी व्यय किया जाता है/अग्रिम भुगतान किए जाते हैं, या संबंधित परियोजना राशि, आबंटित ओवर हेड प्रभारों के साथ डेबिट की जाती है, देनदारियों का खाता डेबिट कर दिया जाता है।

11.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषित चिन्हित की गई निधि के अतिरिक्त, विभिन्न संगठनों द्वाराभी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती हैं। इनका लेखांकन उसी प्रकार से किया जाता है, जैसे प्रायोजित परियोजनाओं का किया जाता है, केवल यह छोड़कर कि सामान्यत: व्यय, अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों के संवितरण पर ही होता है, जिसमें, अध्येताओं और विद्वानों द्वारा किया जाने वाला आकस्मिक भत्ता शामिल हो सकता है।

11.3 स्वयं संस्थान भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जो शैक्षिक व्ययों के रूप में लेखांकित की जाती हैं।

12. आयकर

संस्थान की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है। इसलिए, लेखाओं में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अनुसूची:24

<u>आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां (उदाहरणात्मक)</u>

1. आकस्मिक देनदारियां:

1.1 31.03 की स्थिति के अनुसार, पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों और ठेकेदारों द्वारा न्यायालय में दायर किए गए मामले और ठेकेदारों के साथ माध्यस्थम मामले निर्णय के लिए विलम्बित थे। कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए वाद, स्थापना से संबंधित, उदारणार्थ, पेंशन, वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन-मान, बर्खास्तगी आदि के संबंध में थे। दावों की मात्रा निश्चित नहीं की गई है। वादों और विवाचन (माध्यस्थम) मामलों में ठेकेदारों (संविदाकारों) द्वारा.....लाख रुपए का दावा (पूर्व वर्ष में .....लाख रुपए) किया गया था।

1.2 संस्थान की ओर से बैंक द्वारा स्थापित किए गए लेटर्स ऑफ क्रेडिट और बकाया, 31.03..... की स्थिति के अनुसार ..... रुपए (पूर्व वर्ष में .....रुपए) थे।

1.3 बिक्री-कर से संबंधित विवाद ग्रस्त मांग.....रुपए (पूर्व वर्ष में .....रुपए) नगर पालिका कर.....रुपए (पूर्व वर्ष में रुपए)

2 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

कन्ट्रेक्ट की शेष लागत को पूंजीगत लेखों पर लागू किया जाए और दिनांक 31.03..... की स्थिति के अनुसार ..... की राशि के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाए (कुल अग्रिम राशियां) (गत वर्ष ..... करोड़ रूपये)।

3 नियत सम्पत्तियां:

3.1 नियत सम्पत्तियों में, वर्ष में की गई वृद्धि की अनुसूची .....में योजना निधियों से क्रय की गई सम्पत्तियों में (..... रुपए, योजनेतर निधियां (.....रुपए), ए.डी. निधि (..... रुपए), ... निधि (रुपए), प्रायोजित

परियोजनाएं(.....रुपए) और पुस्तकालय पुस्तकें और ..... रुपए मूल्य का अन्य सम्पत्तियां शामिल हैं जो संस्थान को उपहार स्वरूप प्रापत हुई हैं। सम्पत्तियों को क्रेडिट टु कैपिटल फण्ड द्वारा स्थापित (सेटअप) किया गया है।

3.2 31.03 .....के तुलन पत्र (बी.एस.) और पूर्ववर्ती वर्षोंके तुलन-पत्रों में, योजनागत निधियों से सृजित नियत सम्पत्तियों और योजनेतर निधियों से सृजित सम्पत्तियों को अलग से नहीं प्रदर्शित किया गया था। योजनागत, योजनेतर निधियों से और अन्य निधियों से ..... वर्षों के दौरान हुई वृद्धियां (एडीसंस) और उन वृद्धियों पर जो ह्रास प्रदान किए गए हैं, उन्हें नियतसम्पत्तियों की मुख्य अनुसूची (अनुसूची 4) की उप-अनुसूचियों में क्रमश: क, ख, ग और घ में अलग से प्रदर्शितकिया गया है।

3.3 अनुसूची 4 में स्थापित (सेटआउट) नियत सम्पत्तियों में, प्रायोजित परियोजनाओं की निधि से क्रय की गई, सम्पत्तियां, संस्थान द्वारा धारित और उपयोग में लाई जाने वाली सम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, क्योंकि, परियोजना-अनुबंधों में यह विनिर्दिष्ट है कि परियोजना निधियों से क्रम की गई ऐसी सभी सम्पत्तियां, प्रायोजकों की सम्पत्ति बनी रहती हैं।

ऐसी सम्पत्तियों के ब्यौरें निम्नलिखित हैं:

सम्पत्तियां	1.4. को मूल लागत रुपए	वर्ष के दौरान हुई वृद्धियां रुपए	कुल योग रुपए	कल्पित ह्रास अथ शेष	वर्ष के लिए कल्पित ह्रास रुपए	कुल कल्पित ह्रास	31.3. को कुल पुस्तक मूल्य रुपए
प्रयोगशाला उपकरण							
कम्प्यूटर्स							
कार्यालय उपकरण							
फर्नीचर, फिक्सचर्स और फिटिंग्स							
कुल योग							

4. पेटेंट्स: पेटेंट्स पर व्यय के संबंध में ..... के दौरान, पहली बार एक लेखांकन नीति तैयार की गई थी।..... वर्षों के दौरान, संस्वीकृत पैंटेंटो पर किया गया व्यय और 31.3..... की स्थिति के अनुसार, विलंबित पेटेंट्स आवेदनों पर किए गए व्यय, क्रेडिट टु कैपिटल फण्ड के माध्यम से .....के खातों में सेट-अप किए गए थे। ..... में किए गए व्यय को शीर्ष में सीधे डेबिट कर दिया गया है।

5. जमा देनदारियां: ..... रूपए के अग्रिम धन के रूप में जमा और प्रतिभूति जमा की बकाया राशि, जो बिना दावा वाली जमा राशि थीं, वित्त वर्ष ..... के पूर्व उन्हें राजस्व खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था और उन्हें वर्ष..... के लिए विविध आय के रूप में लेखांकित कर लिया गया था।

6. विदेशी मुद्रा में व्यय:

(क) यात्रा

(ख) रसायनों (केमिकल्स) आदि के आयात के लिए विदेशी ड्राफ्ट

(ग) अन्य

7. वर्तमान सम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम और जमाएं

प्रबंधन के विचार में, वर्तमान सम्पत्तियों, ऋणों अग्रिमों और जमाओं का मूल्य सामान्य क्रम में रियलाइज होने पर होता है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गए राशि के कुल योग के बराबर होता है।

8. बचत बैंक खातों, चालू खातों और बैंकों के साथ नियत जमा खातों की शेष राशियों के ब्यौरे, वर्तमान सम्पत्तियों की अनुसूची 'क' में अनुबंध के रूप में संलग्न हैं।

9. आवश्यकतानुसार, पूर्व वर्ष के आंकड़े पुन: समूहीकृत किए गए हैं।

10. अंतिम रूप से तैयार लेखाओं में अंकों को निकटतम रूपए के रूप में पूर्णांकित कर दिया गया है।

11. अनुसूची 1 से 24 संलग्न कर दी गई हैं और ये 31 मार्च, ...के तुलन-पत्र (बी.एस.) और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में शामिल हैं।

12. चूंकि, भविष्य निधि खाते और नई पेंशन योजना खाते, उस निधि के सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं, इसलिए, ...से इन खातों को संस्थान के खातों से अलग कर दिया गया था। वर्ष .....के लिए एक प्राप्ति और भुगतान खाता, एक आय और व्यय खाता (प्रोद्भवन आधार पर) और भविष्य निधि खातों और नई पेंशन योजना के तुलन-पत्र (बी.एस.), संस्थान के लेखाओं के साथ संलग्न कर दिए गए हैं। .....कर्मचारी, जिनको पीआरए नम्बर आबंटित कर दिए गए हैं, से संबंधित नई पेंशन योजना निधि का एक बड़ा अंश (..... करोड़ रुपए) .....तक, नेशनल सेक्योरिटीज डिपोजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ..... सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) को हस्तांतरित कर दिया गया है। संस्थान में लगभग .....सदस्यों के संबंध में, नई पेंशन योजना के अन्तर्गत धारित शेष राशि.....में, एजेंसी द्वारा पीआरए नम्बर आबंटित होते ही हस्तांरित कर दी जाएगी।

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

वित्तीय विवरण फॉर्म (केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्था)

इकाई का नाम_____

अवधि/को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान_____

(राशि रुपए में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. आंशिक शेष क) बकाया रोकड़ ख) बैंक बकाया i. चालू खाते में ii. जमा खाते में iii. बचत खाते में			I. व्यय क) स्थापना व्यय ख) शैक्षिक व्यय ग) प्रशासनिक व्यय घ) परिवहन व्यय ङ) मरम्मत और रख-रखाव च) पूर्व अवधि व्यय		
II. प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से ख) राज्य सरकार से ग) अन्य स्रोत से (विवरण) (पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु अनुदान/अलग से दिखाया जाए, यदि उपलब्ध हो)			II. चिन्हित/ वृत्ति दान निधि से भुगतान		
III. शैक्षिक प्राप्ति			III. प्रायोजित परियोजना/स्कीम के लिए भुगतान		
IV. चिन्हित/वृत्तिदान निधि से प्राप्ति			IV. प्रायोजित फैलोशिप/छात्रवृत्ति के लिए भुगतान		
V. प्रायोजित परियोजना/स्कीमों से प्राप्ति			V. किए गए निवेश और जमा क) चिन्हित/वृत्ति दान निधि से		

			ख) स्वयं की निधि से (निवेश-अन्य)		
VI. प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति से प्राप्ति			VI. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा		
VII. निम्न से निवेश पर आय क) चिन्हित/वृत्तिदान निधि ख) अन्य निवेश			VII. अचल संपत्तियों पर व्यय पूंजीगत प्रगतिरत कार्य क) अचल संपत्तियां ख) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य		
VIII. निम्न पर प्राप्त ब्याज क) बैंक जमा ख) ऋण और अग्रिम ग) बचत बैंक खाता			VIII. सांविधिक भुगतान सहित अन्य भुगतान		
IX. नगदीकृत निवेश			IX. अनुदान वापसी		
X. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा नगदीकृत			X. जमा और अग्रिम		
XI. अन्य आय (पूर्व अवधि आय सहित)			XI. अन्य भुगतान		
XII. जमा और अग्रिम			XII. अंतिम शेष क) हाथ रोकड़ ख) बैंक बकाया चालू खाते में बचत खाते में जमा खाते में		
XIII. सांविधिक प्राप्ति सहित विविध प्राप्ति					
XIV. कोई अन्य प्राप्ति					
कुल			**कुल**		

जीपीएफ और एनपीएस खाता

भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलनपत्र

राशि रुपए में

राशि	देनदारी	राशि	राशि	परिसंपति	राशि
	<u>जीपीएफ</u>			ब्याज	
	आरंभिक शेष			31.03.15 के अनुसार अर्जित ब्याज	
	घटा: मार्च, 2014 के लिए सबस्क्रिप्शन			मार्च 2015 के लिए देय सब्सिक्रप्शन:	
	जमा: वर्ष में सबस्क्रिप्शन			सीपीएफ में देय यूसी	
	जमा: मार्च, 2015 के लिए सबस्क्रिप्शन				
	जमा: क्रेडिटिड ब्याज				
	घटा: अग्रिम/निकासी				
	अंतिम शेष			आयकर विभाग से बकाया वापसी निवेश पर ब्याज से प्राप्त कर	
	<u>सीपीएफ</u>				
	आरंभिक शेष			**हाथ रोकड़**	
	घटा: मार्च, 2014 के लिए सबस्क्रिप्शन			एसबीआई शाखा-I	
	जमा: वर्ष में सबस्क्रिप्शन			एसबीआई शाखा-II	
	जमा: मार्च, 2015 के लिए सबस्क्रिप्शन			बैंक	
	जमा: क्रेडिटिड ब्याज				
	घटा: अग्रिम/निकासी				
	अंतिम शेष				

	<u>विश्वविद्यालय योगदान (सीपीएफ)</u> आरंभिक शेष घटा: मार्च, 2014 के लिए अंशदान जमा: वर्ष में सबस्क्रिप्शन जमा: मार्च, 2015 के लिए अंशदान जमा: क्रेडिटिड ब्याज घटा: अग्रिम/निकासी अंतिम शेष एनपीएस टायर-II खाता **<u>एनपीएस टायर-II</u>** आरंभिक शेष घटा: मार्च, 2014 के लिए अंशदान जमा: वर्ष में सबस्क्रिप्शन जमा: मार्च, 2015 के लिए अंशदान जमा: क्रेडिटिड ब्याज घटा: अग्रिम/निकासी अंतिम शेष एनपीएस टायर-II खाता **<u>ब्याज आरक्षित</u>** आरंभिक बकाया जमा: व्यय की तुलना में आय अंतिम शेष				

भविष्य निधि खाता

31/03/14 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

राशि रुपए में

प्राप्तियां	राशि		राशि
01/04/14 के अनुसार आरंभिक शेष		जीपीएफ अग्रिम/निकासी	
एसबीआई, ब्रांच-I		विश्वविद्यालय अंशदान निकासी	
एसबीआई, ब्रांच-II		वर्ष के दौरान ब्याज	
बैंक			
जीपीएफ सब्स्क्रिप्शन		**हाथ रोकड़**	
सीपीएफ विश्वविद्यालय अंशदान		एसबीआई शाखा-I	
ब्याज नगदीकृत		एसबीआई शाखा-II	
प्राप्त ब्याज		बैंक	
कुल		कुल	

भविष्य निधि खाता

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

राशि रुपए में

राशि 31/मार्च/14	व्यय	राशि 31/मार्च/14	राशि 31/मार्च/14	परिसंपति	राशि 31/मार्च/15
	निम्न में क्रडिट ब्याज: जीपीएफ खाता सीपीएफ खाता विश्वविद्यालय अंशदान (सीपीएफ) एनपीएस टायर-II खाता व्यय की तुलना में बेशी आय			निवेश पर अर्जित ब्याज 03/15 को अर्जित ब्याज जमा: ब्याज पर वसूला गया कर अपेक्षित वापसी घटा: मार्च, 14 के लिए अर्जित ब्याज आय की तुलना में बेशी व्यय	
	कुल			कुल	

एनपीएस टायर-I खाता

31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलनपत्र

राशि रुपए में

राशि	देनदारी	राशि	राशि	परिसंपत्ति	राशि
	एनपीएस टायर-I खाता आरंभिक शेष घटा: मार्च, 2014 जमा: सबस्क्रिप्शन + अंशदान जमा: क्रेडिटिड ब्याज घटा: एनएसडीएल को हस्तांतरित जमा: सब्स्क्रिप्शन + 3/2015 के लिए यूसी व्यय की तुलना में बेशी आय 01.04.2014 को बकाया जमा: वर्ष के दौरान			**एनपीएस टायर-I खाता** 3/15 के लिए देय सब्स्क्रिप्शन और अंशदान ब्याज ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं बैंक बकाया	
	कुल				

एनपीएस टायर-I खाता

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आय और व्यय खाता

राशि रुपए में

राशि	देनदारी	राशि	राशि	परिसंपत्ति	राशि
	सब्सक्राइबर खाते में जमा ब्याज बैंक प्रभार व्यय की तुलना में बेशी आय			निवेश पर अर्जित ब्याज घटा: अर्जित ब्याज 31/03/14 अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज	
	कुल			कुल	

एनपीएस टायर-I खाता

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आय और व्यय खाता

राशि रुपए में

प्राप्तियां	**राशि**		**राशि**
01/04/14 के अनुसार आरंभिक शेष **एनपीएस टायर-I खाता** स्वयं का सब्स्क्रिप्शन विश्वविद्यालय अंशदान निवेश पर प्राप्त ब्याज बचत खाते पर ब्याज नगदीकृत निवेश		ब्याज एनएसडीएल से निकासी/वापसी 31/03/2015 के अनुसार अंतिम शेष	
कुल		कुल	

निर्देश और लेखन सिद्धांत

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण के समेकन के लिए टिप्पणियां और अनुदेश

अनुदेश और लेखांकन सिद्धांत

1) लाभ न कमाने वाले और अन्य समान संगठनों के लिए वित्तीय विवरण (अर्थात् तुलन पत्र, आय और व्यय खाता) अर्जन आधार पर तैयार किया जाएगा; और सुझाए गए स्वरूप में अथवा यथा संभव उसके समान होगा।
2) सामान्य, केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाएं विशेषकर अपनी परिसंपत्तियों को वचनबद्ध करते हुए ऋण नहीं ले सकते हैं। इसलिए शीर्ष आरक्षित ऋण और अनारक्षित ऋण तुलन पत्र में नहीं होता है। तथापि यदि किसी संस्था द्वारा विश्व बैंक ऋण प्राप्त करने का दुर्लभ मामला है तो एक अनुसूची द्वारा समर्थित तुलन पत्र की देनदारी में एक नया शीर्ष "अनारक्षित ऋण" शामिल किया जा सकता है।
3) स्वायत्त संगठनों और उच्च शैक्षिक संस्थाओं के लिए लागू लेखांकन मानक का अनुपालन करना अनिवार्य है। यदि कोई लेखांकन नीति लेखांकन मानकों के अनुरूप नहीं है और लेखांकन मानकों से विपणन का प्रभाव वास्तविक है, तो इसके विवरण प्रकट किए जाएंगे जिसमें उस परिस्थिति को छोड़कर जहां ऐसे प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता है, उसके कारण और वित्तीय प्रभाव शामिल होंगे।
4) वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र तथा आय और व्यय खाते तैयार करने में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखन नीतियां शामिल की जाएंगी। महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को किसी एक स्थान पर प्रकट किया जाना चाहिए। लेखांकन नीतियों का उल्लेख विशिष्ट लेखांकन सिद्धांतों में उन सिद्धांतों को लागू करने की पद्धति वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रविष्टि में उल्लेख किया जाता है।

लेखा सिद्धांत निरंतर एक वित्तीय वर्ष से अगले में अपनाए जाएंगे। लेखा नीतियों में किसी परिवर्तन जिसका वर्तमान अवधि में कोई प्रभाव है अथवा जिसका बाद की अवधि में कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है। लेखा नीतियों में परिवर्तन जिसका चालू अवधि में प्रभाव है, के

मामले में वह राशि जिसके द्वारा ऐसे परिवर्तन से वित्तीय विवरण की किसी मद पर प्रभाव पड़ा है को भी आकलन योग्य सीमा तक प्रकट किया जाएगा। जहां ऐसी राशि आकलन योग्य नहीं है, पूरा अथवा भाग में तथ्य प्रकट किए जाएंगे।

5) लेखा पद्धति तथा तुलन पत्र व आय एवं व्यय खाते में लेन-देन तथा इवेंट पर प्रस्तुती वास्तविक रूप पर शातित होगी और न कि केवल विधायी रूप में।

6) तुलन पत्रतथा/अथवा आय एवं व्यय खाते में किसी मद के लेखन की पद्धति और प्रकरण का तरीका निर्धारित करने में वास्तविकता के दृष्टिकोण पर पर्याप्त विचार किया जाएगा।

यदि इस फार्म में अपेक्षित कोई मद अथवा उप-मद की सूचना को आसानी से तुलन पत्र अथवा आय एवं व्यय खाते, जैसा भी मामला हो, में शामिल नहीं किया जा सकता है तो इसे संलग्न किए जाने वाली पृथक अनुसूची अथवा अनुसूची में प्रस्तुत किया जा सकता है जो तुलन पत्र तथा आय एवं खाते का भाग होगी। इसकी वहां सिफारिश की जाती है जहां मदें कई हों।

7) उपर उल्लिखित अनुसूची तथा लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची (महत्वपूर्ण लेखा नीति; आकस्मिक देनदारी तथा लेखा टिप्पणी) वित्तीय विवरण का समेकित भाग होना चाहिए।

8) तुलन पत्र और आय तथा व्यय खाते में दर्शायी गयी सभी मदों के लिए तत्काल पिछले वर्ष के लिए संगत राशि को तुलन पत्र अथवा आय एवं व्यय खाते, जैसा भी मामला हो, में दिया जाना चाहिए।

9) राजस्व को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि:

क) संबद्ध निष्पादन प्राप्त नहीं किया गया हो;

ख) विचारार्थ राशि के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो; और

ग) अर्जन और अंतत: एकत्रीकरण समुचित हो।

10) सभी ज्ञात देनदारियों और घाटे के लिए तब भी प्रावधान किया जाएगा जबकि राशि का सटीकता के साथ निर्धारण न ही किया जा सके (प्रावधान की राशि केवल उपलब्ध सूचना के अनुसार सर्वोच्च अनुमान ही प्रस्तुत करती है।)

प्रावधान का अर्थ छोड़ दी गयी राशि अथवा परिसंपत्तियों के मूल्य में अवमूल्यन, नवीकरण अथवा हास अथवा किसी ज्ञात देनदारी के लिए प्रावधान द्वारा रखी गई राशि है जिसका सटीकता के साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिक घाटे के लिए प्रावधान किया जाएगा, यदि:

क) यह संभव है कि भविष्य के इवेंट यह पुष्टि करेंगे कि किसी संबद्ध वसूली को ध्यान में रखते हुए कोई संपत्ति नष्ट हो गयी हो अथवा तुलन पत्र की तारीख पर कोई देनदारी हुई हो, और

ख) परिणामी घाटे की राशि का समुचित आकलन किया जा सके।

यदि उपरोक्त कोई भी शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो आकस्मिक घाटे की मौजूदगी तब तक आय व व्यय खाते की टिप्पणी में प्रकट की जा सकती है जब तक घाटे की संभावना नगण्य हो।

11) जहां कोई राशि, बट्टे खाते में डाले जाने अथवा परिसंपत्तियों के हास, नवीकरण अथवा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किए जाने के माध्यम से रखे जाने अथवा किसी ज्ञात देयता के लिए प्रावधान किए जाने के माध्यम से, उस राशि से अधिक है जिसे इस प्रयोजनार्थ समुचित रूप से आवश्यक समझा गया है, अधिक राशि को रिजर्व के रूप में माना जाएगा, न कि प्रावधान के रूप में।

12) निम्नलिखित के संबंध में आय और व्यय लेखे में पृथक घोषणा की जाएगी:

(क) "पूर्व अवधि" मदें जिनमें आय अथवा व्यय की महत्वपूर्ण मदें निहित हैं जो लेखे को बंद करने के प्रयोजनार्थ भूल-चूक अथवा अंतिम तारीख (कट-ऑफ डेट) अपनाए जाने के कारण बकाया व्यय के लिए देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण दर्शित होती हैं। पूर्व-अवधि आय और पूर्व-अवधि व्यय अवधारणा केवल आय (रेवेन्यू) मदों पर लागू होती है और यह परिसंपत्ति/देयता लेखाओं पर लागू नहीं होती है। परवर्ती मद का लेखा उस वर्ष में किया जाता है जिसमें पूर्ववर्ती संव्यवहार घटित होते हैं।

(ख) "असाधारण" मदें जो आय अथवा व्यय की महत्वपूर्ण मदें हैं जो उन घटनाओं अथवा संव्यवहारों के कारण उदभूत होती हैं जो कंपनी की सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से अलग है और इसीलिए उनकी बार-बार अथवा नियमित रूप से आवृत्ति की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(ग) कोई भी मद जो शीर्ष "विविध आय" के तहत कंपनी के कुल कारोबार (टर्नओवर)/सकल आय के 1(एक) प्रतिशत से अधिक है अथवा 50,000 रु., इनमें से जो अधिक है। इसे आय और व्यय लेखा में समुचित लेखा-शीर्ष में दर्शाया जाना चाहिए।

(घ) कोई भी मद जो शीर्ष "विविध आय" के तहत कंपनी के कुल कारोबार (टर्नओवर)/सकल आय के 1(एक) प्रतिशत से अधिक है अथवा 50,000 रु., इनमें से जो अधिक है। इसे आय और व्यय खाते में समुचित लेखा-शीर्ष के सामने एक पृथक और विशिष्ट मद के रूप में दर्शाया जाएगा।

13) शैक्षिक संस्थाओं द्वारा एक प्राप्तियां और भुगतान लेखा भी तैयार किया जाएगा।

14) प्रपत्र में सुझाई गई घोषनाएं न्यूनतम अर्हताएं हैं। एक शैक्षिक संस्थान को अतिरिक्त घोषणाएं करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:

15) तुलन पत्र और आय और व्यय लेखा में आंकड़े, यदि पूर्ण संख्या में कर दिए गए हो तो उन्हें निम्नानुसार पूर्ण किया जाएगा:-

कारोबार (टर्नओवर) की राशि	(रु.) पूर्ण किए गए
एक लाख से कम	सौ
एक लाख अथवा अधिक, लेकिन एक करोड़ से कम	हजार
एक करोड़ अथवा अधिक लेकिन एक सौ करोड़ से कम	लाख
एक सौ अथवा अधिक लेकिन एक हजार करोड़ रु. से कम	करोड़

16) सुझाए गए प्रपत्रों के संबंध में संकलन के लिए संलग्न टिप्पणियों और अनुदेशों का संदर्भ लिया जा सकता है।

17) अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थान, सामान्य भविष्य निधि और नई पैरान योजना निधियों का प्रबंध करते हैं ये सदस्यों के स्वामित्व के अधीन होते हैं और संस्थाओं के लेखाओं के एक भाग के रूप में इनकी गणना नहीं की जा सकती है। चूंकि उनके लेखाओं के साथ इनका प्रबंधन किया जाता है इसलिए यह आवश्यक होता है कि इन निधियों के लिए वार्षिक रूप से एक तुलन पत्र, एक

आय और व्यय लेखा (संचयी आधार पर) और एक प्रासियां और भुगतान लेखा तैयार किया जाए और उन्हें संस्था के लेखाओं के साथ पृथक रूप से संलग्न किया जाए ताकि यह दिखाया जा सके कि इनको सदस्यों के परम हित में प्रबंधित किया जाता है।

उन कर्मचारियों के संबंध में जिन्हें पीआरए संख्याएं आबंटित की गई हैं। नई पेंशन योजना, निधियों को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड (एनएसडीएल) - केंद्रीय रिकॉर्ड रख-रखाव एजेंसी (सीआरए) को हस्तांतरित किया जाएगा। इन मामलों में, वसूल किए गए अभिदान के साथ कर्मचारी अंशदान प्रत्येक महीने एनसीडीएल को हस्तांतरित किया जाता है। "कर्मचारी अंशदान को अनुसूची 15-स्थापना व्यय-भर्ती और अंतिम (टर्मिनल) लाभों" में शामिल किया जाता है।

यदि ऐसे कोई कर्मचारी हैं, पीआरए संख्याओं का आबंटन लंबित होने के कारण जिनके अंशदानों और समतुल्य अभिदानों का प्रबंधन, संस्था द्वारा किया जाता है तो नई पेंशन योजना के वार्षिक लेखाओं (जमा ब्याज सहित) को संस्थाओं के लेखाओं में पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा और इसमें ऐसे कर्मचारी शामिल होंगे।

वह प्रपत्र जिसमें जीपीएफ, सीपीएफ और एनपीएस वार्षिक लेखाओं को तैयार किया जाना है, संलग्न है।

****

सारणियों के लिए टिप्पणियां और अनुदेश

तुलन पत्र

सारणी 1 - समग्र/पूंजीगत निधि

क) समग्र/पूंजीगत निधि, पूंजी शेयर-पूंजी अथवा स्वामियों की निधियों के समान है।

ख) जहां एक संस्थान में एक निर्धारित की गई निधि के अनुसार एक पृथक समग्र निधि है, तुलन-पत्र और सारणी में शीर्षक को "पूंजीगत निधि" के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए ताकि भ्रम से बचा जा सके। निर्धारित निधियों के तहत नाम "समग्र निधि" को समुचित रूप से परिवर्तित किया जा सकता है ताकि निधि के स्वरूप को दर्शाया जा सके।

(ग) जहां कोई कोर्पस निधि नहीं होती हैं वहां तुलनपत्र और परिशिष्ट में शीर्ष कोर्पस/पूंजीगत निधि जारी रहेगी।

(घ) पूंजीगत निधि में अन्य जोड़ी गई निम्नलिखित है:

i. पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किए गए की सीमा तक सरकार/यूजीसी से अनुदान।
ii. निर्धारित निधियों में से क्रय की गई परिसंपत्तियां।
iii. प्रायोजित परियोजना निधियों, जहां स्वामित्व संस्था में निहित होता है, में से क्रय की गई परिसंपत्तियां।
iv. दान की गई/उपहार दी गई परिसंपत्तियां।
v. अन्य, यदि कोई हो।

जब अनुदान प्राप्त होते हैं तो बैंक खाता (डेबिट) और अनुदान खाता (क्रेडिट) प्रभावित होते हैं। जब अनुदान निधियों से पूंजीगत व्यय किया जाता है, केवल बैंक खाता (क्रेडिट) और परिसंपत्ति खाता (डेबिट) प्रभावित होते हैं लेकिन अनुदान खाता अपने आप में प्रभावित नहीं होता है। यदि फिर भी तद्रुरूप अनुदान खाते में शेष को कम करना आवश्यक होता है तो एक रोज़नामचा (जर्नल) के माध्यम से अनुदान खाते को डेबिट करके और पूंजीगत निधि को क्रेडिट कर दिया जाता है। उपर्युक्त मदों घ (ii) और (घ) (iii) के संबंध में जब पूंजीगत व्यय किया जाता है, संबंधित निर्धारित निधि/प्रायोजित परियोजना को डेबिट किया जाता है। यद्यपि परिसंपत्तियां वास्तविक रूप

से संस्था में मौजूद होती है, परिसंपत्ति खाता प्रभावित नहीं होता है। चूंकि वे संस्था के स्वामित्व अधीन होते हैं, उन्हें संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों के साथ मिलाते हुए तुलन-पत्र में दर्शाया जाना होता है। जहां तक संस्था का संबंध है, वे स्वतंत्र है और इसलिए परिसंपत्तियों को डेबिट और पूंजीगत निधि को क्रेडिट करते हुए उनकी स्थापना की जाती है। ऐसे संगठनों में (उन कंपनियों से भिन्न जहां पर उन्हें पूंजीगत रिजर्व में क्रेडिट किया जाता है), पूंजीगत रिजर्व का कोई विशेष महत्व अथवा उपयोग नहीं है इसलिए पूंजीगत निधि में क्रेडिट दिए जाते हैं। मद घ (iv) एक उपहार प्रदत्त परिसंपत्ति है और इसलिए उपर्युक्त वर्णित कारणों से इसे परिसंपत्ति खाते को डेबिट करते हुए और पूंजीगत निधि को क्रेडिट करते हुए स्थापित किया जाना होता है।

(ङ) इस मौलिक सिद्धांत के आधार पर कि सभी लाभ अथवा हानियां, मालिकों की होती है, व्यय से अधिक आय को पूंजीगत निधि में जोड़ा जाना चाहिए और आय से अधिक व्यय को पूंजीगत निधि में से घटाया जाना चाहिए।

(च) अथ:शेष पूंजीगत निधि में योग और कटौतियां और अंत:शेष को सारणी में दर्शाया जाएगा।

तुलन पत्र

सारणी 2 - विनिर्दिष्ट/निर्धारित/धर्मार्थ निधियां

विनिर्दिष्ट/निर्धारित निधियां शैक्षिक संस्था द्वारा नियत की जाती है अथवा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बाह्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं जहां पर संस्थान द्वारा उनको नियत किया जाता है, सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् कार्यकारी समिति/शासी निकाय/संबंधित शासी ढांचा) आय की उन मदों और निधि से पूरा किए जाने वाले अनुमत्य व्यय को निर्धारित करता है जिनकी गणना निर्धारित निधि के तहत की जा सकती है। सामान्यत: विशिष्ट लक्ष्यों सहित इनकी अवधि दीर्घ होती है और परिसंपत्त्यिों पक्ष में निवेशों के साथ जुड़ी होती है। निवेशों से आय का प्रवाह वापस फिर निधि में होता है। आय और पूंजीगत दोनों प्रयोजनों के संबंध में व्यय को निधि में से डेबिट किया जाता है और शेष को प्रतिवर्ष आगे ले जाया जाता है।

प्रत्येक निधि के शेष को परिसंपत्तियों के पक्ष में बैंक शेष, निवेश और अर्जित आय के रूप में दर्शाया जाता है लेकिन इनमें बकाया शेष नहीं दर्शाए जाते हैं। इनको मुख्य सारणी के नीचे एक तालिका में दर्शाया जाना चाहिए।

प्रत्येक निर्धारित निधि के लिए एक पृथक बैक खाता बनाया जाना वांछनीय है।

धर्मार्थ निधियां भी निर्धारित निधियां होती हैं लेकिन निधि के प्रयोजन और उपयोग के बारे में सीमित होती हैं। दानकर्ता सामान्यत:, मेडल, पुरस्कार, अध्येतावृत्त्यिां और छात्रवृत्तियों के लिए दान प्रदान करते हैं और उसमें उस विषय और मेडल/पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए मानदंडों का विवरण दिया जाता है जिसके लिए दान दिया जाता है। अन्य प्रतिबंध है कि संपूर्ण धर्मार्थ राशि का उपयोग मेडल/पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए नहीं किया जा सकता है और केवल संगत निधि के निवेश से आय का इस प्रयोजनार्थ उपयोग

किया जा सकता है। इससे यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक धर्मार्थ निधि के संबंध में पृथक निजी निवेश किए जाए। तथापि, प्रत्येक धर्मार्थ निधिके लिए एक पृथक निजी निवेश किए जाए। तथापि, प्रत्येक धर्मार्थ निधि के लिए एक पृथक बैंक खाता की उपलब्धता की कोई आवश्यकता नहीं होती है चूंकि निवेश के पश्चात् प्रत्येक निधि में बचे हुए शेष बहुत कम होते हैं। सभी धर्मार्थ निधियों के लिए एक बचत बैंक खाते में प्राप्त ब्याज को वर्ष के अंत में, प्रत्येक निधि के अन्तशेष के आधार पर सभी निधियों में बांट दिया जाता है।

शैक्षिक संस्थाओं में दानकर्ता द्वारा की गई इच्छा के अनुसार विषयों में पदों की स्थापना करने के लिए भी धर्मार्थ राशियां प्राप्त की जाती है। धर्मार्थ राशि में पद पर नियुक्त किए जाने वाले प्रोफेसर का वेतन और आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं और संपूर्ण धर्मार्थ राशि का उपयोग, व्यय (मेडल इत्यादि के मामलों से भिन्न, जहां निवेशों से केवल ब्याज का उपयोग किया जा सकता है) के लिए किया जा सकता हैं चूंकि धर्मार्थ राशियों की संख्या प्राय: बहुत कम होती है, सारणी 2 में अंतिम कॉलम का उपयोग सभी धर्मार्थ राशियों के सामने कुल आंकड़ों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है, जो पूर्ण ब्यौरों सहित, सभी अलग-अलग धर्मार्थ राशियों को सूचीबद्ध करते हुए उप-सारणी 2 क द्वारा समर्थित है।

निर्धारित निधियों के भाग के रूप में निम्नलिखित की गणना नहीं की जाएगी।

क) अनुदान/निधियां, जो प्रवर्त्तकों के अंशदान के स्वरूप सहित हों और उनकी प्रकृति, समग्र/पूंजीगत निधि में वृद्धि/अभिवृद्धि की हो।

ख) कंपनी द्वारा आय खाते के संबंध में घाटे को पूरा करने के लिए प्राप्त की गई निधियां/अनुदान।

ग) परियोजनाओं/योजनाओं के प्रायोजकों द्वारा प्राप्त निधियां।

घ) फेलोशिप और स्कॉलरशिप के प्रयोजकों द्वारा प्राप्त निधियां।

उपर्युक्त मदों (ग) और (घ) को इस सारणी में शामिल नहीं किया जाता है क्यों कि वे निर्धारित निधियों के केवल एक लक्षण को पूरा करते है। उनका एक विशिष्ट प्रयोजन होता है। ये अल्प-अवधि की इसलिए होती है जिसकी सीमा 1-3 वर्ष होती है और तदनुरूप निवेशों को इनके

साथ संलग्न नहीं किया जाता है। संपूर्ण अवधि के दौरान प्रायोजित परियोजनाओं और प्रायोजित छात्रवृत्तियों के लिए होने वाले व्यय भी सतत् रूप से किया जा रहा है।

जहां गृह-निर्माण अग्रिम राशि, वाहन और कंप्यूटर अग्रिम के लिए आवर्ती निधियां स्थापित की गई है वहां उनके लिए निर्धारित संगत निधि में किसी पूंजीगत व्यय डेबिट नहीं होगा।

एक विशिष्ट उद्देश्य अर्थात् स्टाफ कल्याण निधि, पेंशन निधि सहित किसी अन्य निधि को भी इस सारणी में शामिल किया जा सकता है।

सारणी 3 - चालू देयताएं तथा प्रावधान

क) चालू देयताएं

1. स्वीकृतियां — इस उप-शीर्ष के तहत शामिल की गई, आदेशक के आदेश पर विनिमय-पत्र के संबंध में आदेशक की स्वीकृति होगी।

2. विविध लेनदार — इस उप-शीर्ष के सामने दर्शाए जाने वाली राशि में कंपनी द्वारा अन्य के पक्ष में निम्नलिखित के कारण बकाया राशियां शामिल होगी:

   क) वस्तुओं के लिए — संविदात्मक बाध्यताओं के संबंध में क्रय की गई वस्तुएं या प्रदान की गई सेवाएं इसको वस्तुओं के लिए अलग किया जाना अपेक्षित है और पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

   ख) अन्य

3. प्राप्त की गई अग्रिम राशियां — इस उप-शीर्ष के सामने देयता में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं/प्रदान की जाने वाली की की जाने वाली वस्तुओं/प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्राप्त राशियां अथवा वे वस्तुएं/सेवाएं शामिल होती हैं जिनके लिए अभी मूल्य दिया जाना है और इसमें अग्रिम अंशदान शामिल होते हैं।

4. सांविधिक बाध्यताएं

क) अतिदेय: इनमें कंपनी को अभिशासित करने वाले केंद्र/राज्य विधानों के संदर्भ में देयताएं शामिल होती हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्रोत पर काटे गए कर, सांविधिक बोनस, भविष्य निधि, ईएसआई उनके अतिदेय पर एसएसआई यूनिट को ब्याज, विक्रय कर, उत्पाद, सीमा शुल्क ड्यूटी और अन्य सांविधिक लेवी की अदत्त देयताएं शामिल होती हैं। अविवादित राशियों की अतिदेय देयताएं वे होती हैं जो सामान्य देय तारीख/निर्धारित अवधि के दौरान देय हैं और भुगतान किए बिना पड़े हैं, अर्थात् वे हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है।

ख) अन्य: वे, जिनकी देय तारीख अभी नहीं आई है।

5. अन्य चालू देयताएं: इनमें अन्य उप-शीर्ष द्वारा कवर नहीं होने वाली राशियां शामिल होगी। इस उप-शीर्ष के तहत शामिल की गई किसी भी वास्विक राशि को, इसकी प्रकृति को दर्शाते हुए, पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

बही में ओवरड्राफ्ट: कंपनी की बहियों के अनुसार खाते में जमा राशि से अधिक बैक, शेष, जहां कंपनी के पास कोई स्वीकृत
दर्ज करना सीमा/ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है उसे इस उप-शीर्ष के तहत शामिल किया जाएगा अथवा उसकी "बही शेष से अधिक निकाले गए अतिरिक्त बैंक शेष" के रूप में पृथक रूप से उद्भाषित किया जाएगा। इसे चालू परिसंपत्त्यिों के तहत दर्शाए गए अन्य बैंक लेखाओं के सामने नहीं डाला जा सकता है।

<u>टिप्पणियां - सामान्य</u>

1. चालू देयता वह होती है जो सापेक्षिक रूप से कम अवधि सामान्यत: 12 महीने से कम नहीं, के भीतर भुगतान के लिए देय होती है।
2. जहां किसी मद में चालू देयताओं और प्रावधानों का दस प्रतिशत अथवा अधिक निहित होता है, वहां ऐसी मद के स्वरूप और राशि की पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए और 'अन्य' शीर्ष के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
3. विद्यार्थियों से प्राप्त रेहन - 12 महीनों के दौरान विद्यार्थियों को वापस की जाने वाली रेहन की राशि को तुलनपत्र से निम्नलिखित रीति से दर्शाया जाना चाहिए:

चालू विद्यार्थियों से
पूर्व विद्यार्थियों से

4. इस सारणी में प्रायोजित परियोजनाओं, प्रायोजितअध्येतावृत्तियों और अन्य निधियों के लिए प्राप्तियों उपर्युक्त सारणी की ऐसी उप-सारणियों द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

<u>बी-प्रावधान</u>

1. कर निर्धारण के लिए	वर्ष के अंत में कर मामलों की स्थिति के आधार पर प्रावधान बनाए जाने ओर रखे जाने की आवश्यकता है।
2. ग्रेच्युटी	कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें वास्तविक जीवनांकिक आधार पर प्राप्त होने वाली देय ग्रेच्युटी के प्रति देयता के प्रावधान किए जाने और वर्ष अंत तक इसे उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। 31 मार्च, की स्थित के अनुसार, प्रत्येक वर्ष जीवनांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया जाना होता है।
3. अधिवर्षिता/पेंश्न	कर्मचारियों की अधिवर्षिता के प्रति देय देयता के प्रावधान को जीवनांकिक आधार पर उपार्जित करना और वर्ष अंत तक उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। 31 मार्च, की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष जीवनांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया जाना चाहिए जिसमें नामावली में शामिल पेशनरों ओर परिवार पेंशनरों को भी शामिल किया जाएगा।
4. संचित अवकाश	कर्मचारियों के अवकाश के नकदीकरण के प्रति देयता को जीवनांकिक आधार पर उपार्जित किया और वर्ष अंत तक उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रतिवर्ष, जीवनांकिक मूल्यांकन प्राप्त किया जाना होता है।

5. व्यापार वारंटी/दावे	जहां कंपनी, विक्रय के लिए वस्तुओं का विनिर्माण/संसाधन कर रही है। इसको व्यापार वारंटी खतरे हो सकते हैं, जिसके लिए एक तर्कपूर्ण/विवेकपूर्ण आधार पर प्रावधान किया जाना अपेक्षित होता है।
6. अन्य	इसको विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है और इसमें संदेहात्मक ऋण/अग्रिम राशियां के लिए प्रावधान शामिल नहीं होंगे जिन्हें संगत परिसंपत्ति शीर्षों में से कम किया जाएगा।

<u>टिप्पणियां-सामान्य</u>

1. प्रावधान, परिसंपत्त्यिों के मूल्य में हास कमी के लिए प्रावधान करने के माध्यम से बट्टे खाते डाले जाने से बनाए रखी जाने वाली राशि है, जिसकी राशि को पर्याप्त विशुद्धता सहित निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
2. यदि प्रावधानों की गणना को सही ढंग से किया गया है तो तुलन पत्र की इस सारणी में पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधानों अंतशेष, जीवनांकिक मूल्यांकन के अनुसार तारीख पर देयता से मेल खाएंगे।
3. पेंशन के वास्तविक भुगतान/पेंशन का परिणत मूल्य परिवार पेंशन और अवकाश नकदीकरण को संबंधित प्रावधानों में डेबिट किया जाता है।
4. चूंकि प्रावधानों में संपूर्ण वर्ष शामिल होता है और वर्ष की 31 मार्च, को देयता घोषित होती है, वार्षिक लेखा में चुकाए नहीं गए सेवानिवृत्ति लाभों यदि कोई हो के लिए देय देयता का प्रावधान करने का प्रश्न नहीं उठता है। एक देयता जो प्रावधान के रूप में पहले से ही मौजूद है, उसके लिए देयता नहीं दर्शाई जा सकती है।

<u>निधियों का प्रयोग</u>

<u>अनुसूची 4 - अचल संपत्तियां:</u>

1.	**भूमि**		
	(क)	फ्री होल्ड	एक समग्र लागत के भुगतान पर जब अचल संपत्तियों (जैसे भूमि और भवनों) की खरीद/अधिग्रहित किया जाता है तब भूमि लागत का पर्याप्त/विश्वसनीय अनुमान लगाया जाना चाहिए और उसे अलग दर्शाया जाए।
	(ख)	पट्टे पर ली गई	जब तक पट्टे का स्थायित्व बना रहता है पट्टे पर ली गई जमीन का पट्टे की अवधि के दौरान ऋण चुकाया जाए
2.	**भवन**		भवन/परिसर वे होंगे जिन्हें फर्म के कार्यकलापों के प्रयोजन के लिए पूर्णत:/आंशिक रूप से प्रयोग करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इन्हें 'निवेश संपत्तियां' में शामिल नहीं किया जाएगा।
	(क)	फ्री होल्ड भूमि पर	जहां तक व्यवहार्य हो विभिन्न दरों पर फैक्टरी और कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों, छात्रावास भवनों के बीच अंतर होना चाहिए।
	(ख)	पट्टे की भूमि पर	पट्टे पर ली गई भूमि पर सुपरस्ट्रेक्चर का मूल्यहास भूमि के ऋण चुकाने के साथ ही समाप्त होना चाहिए तब तक कि सुपरस्ट्रेक्चर की उम्र बहुत कम न हो।
	(ग)	फ्लैट्स/परिसरों का स्वामित्व	फ्री होल्ड/पट्टे पर भूमि का खुलासा किया जाए।

(घ) भूमि पर सुपरस्ट्रेक्चर भवनों में फर्म से संबंध रखने वाले रोड, पुल और पुलियां शामिल होगीं। वैकल्पिक रूप से इन्हें अलग शीर्ष में शामिल किया जा सकता है।

3. **संयत्र और मशीनरी** इस उप-शीर्ष में शामिल निम्नलिखित मशीनरी शामिल होगी:

- अर्थ मूविंग मशीनरी
- बॉयलर
- फर्नेस
- जेनरेटर
- डाइज/मोल्ड
- विशेष उद्योग/सेवाओं जैसे भवन कांट्रक्ट्स, क्लीनिक्स, प्रसंस्करण इकाइयां, हाइड्रोलिक्स कार्य (पाइप लाइनों सहित), टूल रूम के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनरी
- निर्माण/प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य समान
- खातों में अलग लेखा-शीर्ष बनाया जाना चाहिए और उसका अचल संपत्ति रजिस्टर से मेल-मिलाप करते रहना चाहिए
- उपर्युक्त उप-शीर्षों के तहत सूचना देने की सलाह दी जाती है।

4. **वाहन** इस उप-शीर्ष के तहत वाहनों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- ट्रैक्टर/ट्रेलर्स
- ट्रक, जीप और वैन
- मोटर कार
- मोटर साइकिल, स्कूटर
- तीन पहिया और मोपेड
- रिक्शा

खातों में अलग लेखा-शीर्ष बनाया जाना चाहिए और उसका अचल संपत्ति रजिस्टर से मेल-मिलाप करते रहना चाहिए उपर्युक्त उप-शीर्षों के तहत सामग्री लागत की सूचना दिए जाने की सलाह दी जाती है

5. **फर्नीचर, फिक्सचर्स** **<u>उपर्युक्त उप-शीर्ष के तहत सम्मिलित सामान निम्नलिखित होंगे:</u>**

(क) केबिनेट्स/अलमारी/फाइल रैक्स
(ख) वातानुकूलन/वातानुकूलन संयत्र
(ग) एयर कूलर
(घ) वाटर कूलर
(ड.) मेज/कुर्सियां/सोफा/कालीन
(च) वुडन पार्टिसन/अस्थायी ढांचे
(छ) वोल्टेज स्टेबलाइजर, यूपीएस सिस्टम
(ज) अन्य सामान

अलग खाते एवं अचल संपत्तियों के रजिस्टर को अलग रखने की की सलाह दी जाती है। उपर्युक्त उप-शीर्षों के तहत सामग्री लागत की सूचना दिए जाने की सलाह दी जाती है

6. **कार्यालय उपकरण** उपर्युक्त उप-शीर्ष के तहत निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित होंगी:

(क) टाइपराइटर
(ख) फोटोकॉपी/डुप्लीकेटर
(ग) फैक्स मशीन

खातों में अलग लेखा-शीर्ष बनाया जाना चाहिए और उसका अचल संपत्ति रजिस्टर से मेल-मिलाप करते रहना चाहिए उपर्युक्त उप-शीर्षों के तहत सामग्री लागत की सूचना दिए जाने की सलाह दी जाती है

7. **कम्प्यूटर/बाह्य सामग्री** कम्प्यूटर, प्रिंटर और उनकी सॉफ्टवेयर जैसी बाह्य सामग्री इस शीर्ष के तहत वस्तुएं होंगी।
सॉफ्टवेयर को अमूर्त सम्पत्ति माना जाएगा।

8. **इलेक्ट्रिक व्यवस्था** उपर्युक्त उप-शीर्ष के तहत निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित होंगी:

(क) इलेक्ट्रिकल मशीनरी
(ख) इलेक्ट्रिक लाइट्स/पंखे
(ग) स्विच गियर उपकरण
(घ) ट्रांसफॉर्मर
(ड.) बिजली का तार और फिटिंग्स

खातों में अलग लेखा-शीर्ष बनाया जाना चाहिए और उसका अचल संपत्ति रजिस्टर से मेल-मिलाप करते रहना चाहिए उपर्युक्त उप-शीर्षों के तहत सामग्री लागत की सूचना दिए जाने की सलाह दी जाती है

9. **पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक जर्नल्स**

कुछ मामलों में पुस्तकालय की पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है या एक स्थापित पुस्तकालय हो सकता है। ऐसे मामलों में इन पुस्तकों को सम्पत्ति की अलग श्रेणी में दर्शाया जाए। पुस्तकालय पुस्तकों में पुस्तकें/जर्नल्स/सीडी रोम में इकट्ठी की गई जानकारी शामिल हैं। ई-जर्नल्स को अमूर्त सम्पत्ति माना जाएगा।

10. **<u>प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण</u>**

(1) एनएमआर
(2) एक्सआरडी
(3) आईसीपीएमएस
(4) अणु आकार विश्लेषक
(5) फ्लोर स्टैंडिंग प्रीप्रेटिव अल्ट्रासेंट्रिफ्यूज
(6) टेबल टॉप जीसीएमएस
(7) थर्मल आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर
(8) सीडी स्पेक्ट्रोमीटर
(9) टनेब्ल एम्लीफाइड फियूर्टोसेंकड लेजर सिस्टम
(10) 24 केपिल्लरी जेनेटिक एनालाइजर
(11) स्टेबल आइसोटॉप रेसो मॉस स्पेक्ट्रोमीटर
(12) 100 वॉट आईबी फाइबर लेज सिस्टम
(13) इन्वेर्डेट रिसर्च माइक्रोस्कोप
(14) लेक्सीज स्मार्ट-ऑटोमेटिड टीएल-ओएसएल रीडर
(15) 4के पलस ट्यूब क्लोज साइकल क्रियोस्टाट

ये कुछ मुख्य नाम है। संस्थान अपनी लेखांकन नीति के अनुसार उपकरणों के नाम जोड़ या हटा सकती है।

(11) **ट्यूबवेल्स एवं जल आपूर्ति प्रणाली**

ट्यूबवेल्स और जल आपूर्ति प्रणाली को एक अलग श्रेणी के रूप में दर्शाया जाए।

(12) **प्रगति पर पूंजीगत कार्य**

निर्माण अवधि के दौरान अचल संपत्तियों को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाना चाहिए जब तक कि वे अपने अभीष्ट प्रयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती। अभिग्रहित और स्थापना के लिए लंबित संयत्र, मशीनरी और उपकरण को भी यहां शामिल किया जाए। जो कार्य प्रगति पर है (अधिशेष + वर्ष के दौरान जुड़ने वाले कार्य) एवं चालू वर्ष में पूरे हो जाते है उन्हें अनुसूची के सकल ब्लॉक के तीसरे कॉलम का प्रयोग करते हुए संबंधित अचल संपत्तियों में अंतरित कर दिया जाए। चूंकि जो कार्य प्रगति पर है उन पर मूल्यह्रास वसूल नहीं दिया जाता, सकल ब्लॉक के चौथे कॉलम में निर्माणाधीन कार्यों के कुल आंकड़ों को चालू वर्ष में कुल ब्लॉक के रूप में दर्शाया जाए। वर्ष के दौरान अनुदान (पूंजीगत निधि में क्रेडिट करने के प्रयोजनार्थ) से पूरे किए गए पूंजीगत व्यय की गणना करते समय वर्ष के दौरान जुड़े उन कार्यों, (सकल ब्लॉक का कॉलम 2) जो प्रगति पर हैं और वर्ष के दौरान उन्हें संपत्ति लेखों में अंतरित किया गया है, को अलग रखने संबंधी सावधानी बरती जाए।

<u>सामान्य टिप्पणियां</u>

1. अचल संपत्तियों वे संपत्तियां है जिन्हें सेवाएं देने या उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाने के लिए रखा गया है और न कि सामान्य कार्य व्यापार में बिक्री के लिए।

2. प्रत्येक उप-शीर्ष के तहत निम्नलिखित को दर्शाया जाए:
   - (क) मूल्यांकन लागत जैसाकि वर्ष के प्रारंभ में है।
   - (ख) वर्ष के दौरान जुड़ने वाले कार्य (अधिग्रहण और अनुदान दोनों द्वारा)..
   - (ग) वर्ष के दौरान कटौतियां (बिक्री, निपटान, बट्टे खाते डालना सहित)
   - (घ) कुल लागत/मूल्यांकन जैसाकि वर्ष के अंत में है।
   - (ड.) पिछले वर्ष के अंत तक मूल्यह्रास, चालू वर्ष में मूल्यह्रास और वर्ष के अंत तक सकल समेकित मूल्यह्रास ।
   - (च) संपत्तियों का सकल ब्लॉक जैसाकि वर्ष के अंत में है।

3. अधिग्रहित (अनुदान या रियासती दरों पर, दोनो सहित) या निर्मित अचल संपत्तियां के लेखांकन से संबंधित लेखा नीति का मूल्यह्रास/चुकाए गए ऋण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के साथ खुलासा किया जाना चाहिए।

4. अचल संपत्ति की लागत इसके क्रय मूल्य में उस संपत्ति को कार्यात्मक हालात में लाने के लिए उस पर खर्च हुई कारण लागत को जोड़ते हुए निर्धारित की जानी चाहिए।

5. कांट्रेक्टर या आपूर्तिकर्ता को किए गए अग्रिम भुगतानों को विशिष्ट अचल संपत्तियों के तहत या पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

6. लेखा नीति में भेंट/दान की गई संपत्तियों की मूल्यांकन पद्धति का खुलासा किया जाना चाहिए।

7. <u>मूल्यह्रास</u>

मूल्यहास संपत्ति की उपयोग में लाई गई जीवन अवधि पर मूल्यहास राशि की वसूली के लिए मूल्यहास उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। मूल्यहास, मूल्यहास सम्पत्ति के उपयोग से, समय के साथ या तकनीकी और मार्केट परिवर्तनों से अप्रचलित हो जाने के कारण उसमें हुई टूट-फूट, उसकी खपत या लागत में हुई अन्य कमी का मापन है। इसमें संपत्तियों के ऋण का भुगतान शामिल है जिससे संपत्ति की उपयोग अवधि और क्षय होती संपत्तियों के मूल्यहास का निर्धारण किया जाता है।

इस प्रयोजन के लिए

(क) मूल्यहास संपत्ति का तात्पर्य वह सम्पत्ति

(i) जिसे एक से अधिक लेखा अवधि के दौरान प्रयोग में लाए जाने की आशा है; और

(ii) उसकी सीमित उपयोगी जीवन अवधि है; और

(iii) जिसे फर्म द्वारा वस्तुओं के उत्पाद या आपूर्ति तथा सेवाओं में उपयोग के लिए किराए या अन्य कारणों के लिए या प्रशासनिक कार्य के लिए रखा गया है और न कि सम्पत्ति के कार्य/प्रचालन गतिविधियों की सामान्य अवधि में उसकी बिक्री के लिए।

(ख) मूल्यहास सम्पत्ति की मूल्यहास राशि का तात्पर्य उसकी मूल लागत या वित्तीय विवरण में मूल लागत की जगह दर्शयी गई अन्य लागत में से अवशेष लागत को घटाने से है।

(ग) उपयोगी जीवन अवधि से तात्पर्य

(i) या तो वह अवधि जिसके दौरान फर्म द्वारा उस मूल्यहास संपत्ति का उपयोग कर लिए जाने की आशा है, या

(ii) फर्म द्वारा संपत्ति के उपयोग से उत्पादों की संख्या या उसी प्रकार की इकाइयों के प्राप्त किए जाने की आशा है।

(8) फ्री होल्ड भूमि पर कोई मूल्यहास नहीं दिया जाएगा।

(9) जिस वर्ष संपत्ति बेच दी जाती है/कबाड़ के रूप में रद्द कर दी जाती है और बट्टे खाते डाल दी जाती है तब संपत्ति की लागत कम हो जाती है/बट्टे खाते डाल दी जाती है। यह भी जरूरी है कि साथ-साथ संपत्ति की अनुरूप मूल लागत और उस वर्ष दिए गए मूल्यहास को अचल संपत्ति अनुसूची से हटा दिया जाए। यह सकल ब्लॉक के कॉलम 3 और मूल्यहास के ब्लॉक के कॉलम 3 (प्रोफार्मा प्रविष्टियां) में प्रविष्टियों के माध्यम से किया जाता है।

10. संपत्तियों का वर्गीकरण जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है को बदला जा सकता है यदि संस्था द्वारा पहले से कोई भिन्न वर्गीकरण अपनाया गया है। उदाहरणत: वातानुकूलन, एयर कूलर, वॉटर कूलर, वोल्टेज स्टेबलाइजर को इलेकिट्रकल उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जबकि वतानुकूलन संयत्र (एयरकंडिशनिंग प्लांट) को प्लांट और मशीनरी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

<u>अनुसूची - 5 निर्धारित/चिह्नित/कायिक निधियों से निवेश</u>

1.	सरकारी प्रतिभूतियां	इनमें केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और सरकारी खजाने के बिल शामिल है। इन प्रतिभूमियों को लागत/मूल्य पुस्तक में दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, इस प्रकार के मूल्यों और बाजार मूल्यों के बीच अंतर को तुलन-पत्र की टिप्पणी में दिया जाना चाहिए।
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	सरकारी प्रतिभूतियों को अलग प्रतिभूतियों को अनुमादित प्रतिभूतियां माना जाए। (जैसे न्यासी प्रतिभूतियां) उन्हें यहां शामिल किया जाए।
3.	डिबेंचर और बांड	कम्पनियों और निगमों की आरबीआई के डिबेंचर और बांड के रूप में निवेश को यहां दर्शाया जाए।
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	म्यूचुअल फंड्स और अन्य दस्तावेजों में निवेश जो डिबेंचर/बांड की प्रकृति के नहीं हैं (उन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए) बैंकों में सावधि जमा, यदि कोई हो तो, को भी यहां शामिल किया जाए।

5. **<u>सामान्य:</u>**

1. इस अनुसूची में चिह्नित/कायिक निधियों पर किए गए निवेश को दर्शाया जाना जरूरी है। मुख्य सूची के नीचे निधि-वार उप-सूची को भी जोड़ा जाए। इससे उस निधि विशेष के शेष और उस निधि पर अनुरूप निवेश की तुलना करने में सहुलियत होगी।

2. इस अनुसूची में उल्लिखित निवेशों की प्रकृति से अलग एक अपवाद के रूप में बैंकों में सावधि जमा को निहित निधियों और अनुरूप निवेशों के शेषों में तुलना को आसान बनाने के लिए 'अन्य' शीर्ष के तहत शामिल किया जाए।

3. (क) निवेशों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उन्हें दीर्घ अवधि निवेश और चालू निवेश के तहत दर्शाया जाए।

(ख) 'चालू निवेश' का अर्थ है वह निवेश जो स्वभाविक रूप से सहज प्राप्त हो सके और जिस दिन वह निवेश किया जाए उस तारीख से उसे एक वर्ष से अधिक अवधि तक रखे-रखने का आशय न हो। ऐसे निवेशों को उनकी निचली लागत या सही मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए जिसे वैयक्तिक निवेश के आधार पर या निवेश की श्रेणी पर निर्धारित करना चाहिए।

(ग) 'दीर्घावधि निवेश' का अर्थ है चालू निवेश से भिन्न निवेश। दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन लागत पर होना चाहिए। दीर्घावधि निवेश के अंकित मूल्य का आंकन उनके मूल्य में अस्थायी के अतिरिक्त, कमी/ह्रास आने पर ही माना जाना चाहिए। ऐसी कमी का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए वैयक्तिक रूप में किया जाए।

(घ) प्रत्येक मामले में निवेशों का आगे उप-वर्गीकरण किया जाए जैसे उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि से निवेश और "अन्य निवेश" और उन्हें तदनुसार प्रकट किया जाए।

(ड.) शैक्षिक संस्थाओं के दीर्घकालिक निर्दिष्ट निवेशों और उनके बाजार मूल्य की समेकित राशि भी दर्शायी जाए।

(च) 'निर्दिष्ट निवेश' का इस प्रयोजन के लिए अर्थ है वह निवेश जिसके संबंध में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने की अनुमति दी गई हो और 'अनिर्दिष्ट निवेश' अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार निकालना चाहिए।

(छ) स्वामित्व के अधिकार, निवेश की विश्वसनीयता के बारे में महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को टिप्पणी के रूप में लिखा जाएगा।

4. संपत्तियों के रूप में निवेश यदि हो, को स्थिर परिसंपत्तियों की भांति लागत को ह्रासित मूल्य से घटाकर दर्शाया जाएगा।

5. लेखांकन नीति को निवेशों, उनकी लागत, मूल्यह्रास और दीर्घावधि और चालू निवेशों, दोनों के लिए चालू मूल्य पर प्रकट किया जाएगा।

6. स्थायी निवेशों के अर्जन पर प्रदत्त कोई प्रीमियम समय-अनुपात आधार पर उनकी परिपक्वता तारीख तक, परिशोधित किया जाएगा। अर्जन पर बट्टा (डिस्काउंट) का परिशोधन नहीं किया जाएगा।

7. वसूल न किए गए परिपक्व निवेशों को अलग से दिखाया जाए।

8. बैंकों में जहां सावधि जमाओं का परिपक्व होने पर अनुमत्य ब्याज के साथ बैंक द्वारा पुनर्निवेश किया जाता है, वहां पर बैंक बुक की प्राप्ति साइड में दो प्रविष्टियां करनी चाहिए अर्थात्

क. भुनाई गई सावधि जमाएं
ख. सावधि जमाओं पर ब्याज

भुगतान की साइड पर पुनर्निवेशित धनराशि का उल्लेख जमाओं में निवेश के रूप में किया जाएगा।

अनुसूची 6 – निवेश - अन्य :

1.	सरकारी प्रतिभूतियां	इनमें केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी राजकोष बिल शामिल हैं। ये प्रतिभूतियां लागत/बुक मूल्य पर दर्शायी जानी चाहिए। तथापि ऐसे मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर को तुलन पत्र में टिप्पणी के रूप में दिया जाना चाहिए।
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	इनमें निम्नलिखित प्रतिभूतियां शामिल हैं-सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऐसी प्रतिभूतियां जो अनुमोदित प्रतिभूतिया मानी जाती हैं (जैसे न्यासी-प्रतिभूतियां)।
3.	डिबेंचर और बंध पत्र	इसमें आरबीआई, कंपनियों और निगमों के डिबेंचरों और बंधपत्रों में निवेश को दर्शाया जाना चाहिए।
4.	अन्य	इसमें अवशिष्ट निवेश, यदि हों, जैसे वाणिज्यिक प्रलेख, म्यूचुअल फंड (विनिर्दिष्ट किया जाए) और अन्य लिखतों में निवेश जो डिबेंचरों/ बंध पत्रों के रूप में न हो शामिल हैं। संपत्तियों में निवेश, यदि कोई हो, भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सामान्य : इस शीर्षक में अधिशेष निधि में निवेश शामिल होगा, लेकिन बैंकों में सावधि जमा नहीं होगी। इन्हें चालू परिसंपत्तियों में शामिल किया जाएगा।

अनुसूची 7 - चालू परिसंपत्तियां :

1. माल सूचियां :

क) भंडार और माल सूचियां :	मालसूचियों में, अनुरक्षण आपूर्तियों और अतिरिक्त सामान और उपभोज्य तथा अतिरिक्त पुर्जे और उपस्कर
ख) माल सूचियां	इसमें सामान्य प्रक्रिया में रखी मदें या रसायन, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपभोज्य, भवन सामग्री, जल आपूर्ति सामग्री, विद्युत सामग्री, लेखन सामग्री, सफाई संबंधी सामग्री रूप में रखी सामग्री, बिक्री इत्यादि के लिए रखे प्रकाशनों की मदें शामिल हैं।

2. विविध देनदार : देनदारों में वे व्यक्ति जिनसे बेची गई वस्तुओं या दी गई सेवाओं या अनुबंध देनदारियों के संबंध में धनराशि बकाया है शामिल हैं।

   क) छह महीनों से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण

   ख) अन्य

3. हाथ में रोकड़ बाकी : (चैकों/ड्राफ्टों, डाक टिकटों और पेशगी सहित)

4. बैंक शेष : उद्दिष्ट/पृष्ठांकित निधि के लिए बैंक शेष के रूप में धनराशि अलग से दर्शायी जाए।

   क) अनुसूचित बैंक में
   - चालू खातें में — अतिदेय/परिपक्व जमा अलग से दर्शायी जाए
   - जमा खाते में — (मार्जिन धनराशि शामिल है)

- बचत खाते में

ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ
- चालू खातों पर
- जमा खातों पर
- बचत खातों पर

5. <u>डाकघर-बचत खाते :</u>

<u>नोट :</u> 1. लेखांकन नीतियों में माल सूचियों के मूल्य का आधार प्रकट करना चाहिए।

2. वसूली के लिए अच्छे समझे जाने वाले ऋण और संदेहास्पद समझे जाने वाले ऋणों को अलग से दर्शाया जाए। यदि संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है तो इसे संदेहास्पद समझे जाने वाले ऋणों से कटौती के रूप में दर्शाया जाए।

3. जहां किसी जमा लेखा को गिरवी रखा जाता है या जमानत के रूप में प्रभारित किया जाता है या वह ऋण ग्रस्त हों तो उस तथ्य को प्रकट किया जाए।

4. मार्जिन राशियां, संस्था के नाम से बैंक के पास मियादी जमा के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। उन्हें बैंकों द्वारा उन संस्थाओं से लिया जाता है जिनकी ओर से वसूली सुनिश्चित करने के लिए बचाव के तौर पर बैंक गारंटी जारी की गई थी या क्रेडिट पत्र प्रमाणित किया गया था। बैंक गारंटियों और क्रेडिट पत्रों के संबंध में कानून यह है कि जिस बैंक ने बैंक गारंटी जारी की हो या क्रेडिट पत्र प्रमाणित किया हो लाभभोगी को उस समय भुगतान करना होता है जब बैंक गारंटी का आह्वान किया जाए या आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट पत्र ऑपरेट किया जाए, इसका ध्यान रखे बगैर कि यह उस संस्था से मूल्य वसूल करने योग्य है या नहीं जिसकी ओर से इसे जारी किया गया था या प्रमाणित किया गया था। संस्था की वित्तीय स्थिति के बारे में बैंक को कितना विश्वास है इस पर निर्भर रहते हुए मार्जिन राशि की प्रतिशतता: भिन्न हो सकती है।

अनुसूची 8 –ऋण, अग्रिम और जमाएं

1.	ऋण	जो ऋण और अग्रिम अच्छे और वसूलनीय माने जाते हैं उनकों प्रकट करना चाहिए। संदेहास्पद धनराशि का यदि कोई हो, प्रत्येक उप-शीर्षक के अंतर्गत उल्लेख करना चाहिए और यदि कोई प्रावधान किया गया हो तो उसे वहां से कटौती के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
क)	स्टाफ	सब्याज स्टाफ ऋणों से प्रोदभूत ब्याज को हिसाब में लिया जाना चाहिए बावजूद इसके कि ब्याज की वास्तविक वसूलियां मूलधन का पुनर्भुगतान होने के पश्चात् शुरू हुई हों।
ख)	अन्य अस्तित्व जो ऐसे कार्यकलापों/ उद्देश्यों में संलग्न हों जो अस्तित्व के समान हों।	ऐसे अस्तित्वों के अप्रतिसंहरणीय अनुदान/आर्थिक सहायता/चंदा इसमें शामिल नहीं होंगे।
ग)	अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें)	

2. <u>नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने के रूप में वसूलनीय अग्रिम और अन्य राशि</u>

क)	पूंजीगत राशि पर	पूंजीगत कार्यों के लिए आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों के अग्रिमों को इस उपशीर्ष के सामने दर्शाया जाना चाहिए।
ख)	समय पूर्व भुगतान	इसमें समयपूर्व भुगतान शामिल हैं।

ग)	अन्य	इसमें (डेटर्स) के अतिरिक्त प्राप्त राशियां शामिल हैं।
3.	**<u>प्रोद्भूत आय</u> :**	वर्ष के अंत तक 'प्रोद्भूत और देय आय' तथा 'प्रोद्भूत परंतु देय नहीं आय' इस शीर्ष के अधीन शामिल करनी चाहिए।
क)	उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि में निवेशों पर	
ख)	निवेशों पर/अन्य	उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों से निवेशों पर और अन्य निवेशों पर आय को अलग से दर्शाया जाए।
ग)	ऋण और अग्रिम	
घ)	अन्य	यदि उगाही और अन्ततः एकत्रण में कोई अनिश्चिता हो तो उस आय को प्राप्ति में (बिना प्राप्ति की देय आय शामिल है) नहीं माना जाना चाहिए और यदि माना जाता है तो इसका प्रावधान होना चाहिए। लाभांशों को उनकी घोषणा की तारीख (तारीखों) के आधार पर माना जाना चाहिए। प्रोद्भूत देय आय जिसकी वसूली न गई हो, के संबंध में उसे अलग से प्रकट करना चाहिए।
4.	**प्राप्य दावे**	केवल वे दावे जो अच्छे और वसूली के योग्य हों, शामिल करने चाहिए।
5.	**जमाएं (बैंक के अतिरिक्त)**	टेलीफोन, बिजली, पेयजल आपूर्ति और किराये के लिए
6.	**अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें)**	

नोट : कर्मचारियों को दिए भवन निर्माण, वाहनों और कम्प्यूटरों की खरीद के लिए अग्रिमों को तब तक इस अनुसूची में शामिल किया जाएगा, जब तक अनुसूची 2 में परिक्रामी निधि (उद्दिष्ट) स्थापित नहीं की जाती।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संग्रहण हेतु टिप्पणियां और अनुदेश

1. आय और व्यय लेखे में प्रत्येक आर्थिक विशेषता इस ढंग से प्रदर्शित की जानी चाहिए कि उससे लेखा में शामिल अवधि के दौरान शैक्षिक संस्था के कार्यचालन के परिणाम स्पष्ट रूप से प्रकट होते हों।
2. दानों और अनुदानों को मान्यता केवल उस समय दी जानी चाहिए जब समुचित आवश्वासन मिल जाए कि शैक्षिक संस्था नत्थी की गई शर्तों (यदि कोई हो) का अनुपालन करेगी और दान और अनुदान प्राप्त हो जाएंगे।
3. कोई मद जिसके अंतर्गत आय/व्यय, शैक्षिक संस्था का कुल शुल्क प्राप्तियों से 1% या 50,000/-रू., जो भी अधिक हो, बढ़ जाए तो उसे आय और व्यय खाते में समुचित लेखा शीर्ष के सामने अलग और भिन्न मद के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। अत: ये मदें प्रकीर्ण और अन्य आय/व्यय शीर्ष के अंतर्गत नहीं दर्शाई जानी चाहिए।
4. मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि ह्रासित परिसंपत्ति के उपयोगी काल से उस की ह्रासित मूल्य राशि प्रसारित की जा सके।
5. पूर्व अवधि आय और पूर्व अवधि व्यय को आय और व्यय खाते का भाग होना चाहिए, क्योंकि इनसे यह प्रकट होता है कि आय और व्यय खाते द्वारा शामिल अवधि के कार्यचालन परिणाम उन मदों द्वारा जो लागू अवधि से संबंधित नहीं है बल्कि विगत अवधि (अवधियों) से है और चालू अवधि में घटित हुए हैं किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं। उनसे भी जहां कोई आय प्रोद्भूत नहीं हुई है या ऐसी मदों के लिए गत वर्ष (वर्षों) के संबंध में व्ययों के लिए किसी बकाया देयता का प्रावधान नहीं किया है।
6. छात्रावास के चालू खर्चों को आय और व्यय खाते की टिप्पणियों में अलग से प्रकट करना चाहिए।
7. शैक्षिक संस्थाएं टिप्पणियों द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना को प्रकट करेंगी :

    क. शैक्षिक संस्थाओं के कार्यों पर हुए व्यय के संबंध में प्रकटन।
    ख. स्वयं सेवियों द्वारा की गई सेवाओं का ब्यौरा जिनके कोई भुगतान नहीं किया गया है।
    ग. आपवादिक और असाधारण प्रकृति की मदों का ब्यौरा।

आय

अनुसूची 9 - शैक्षिक प्राप्ति:

1) प्रवेश शुल्क — प्रत्येक मद पर की नीति का उल्लेख किया जाना चाहिए।

2) वार्षिक शुल्क/अंशदान — यदि शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, अंशदान आदि पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति के हैं, ऐसी राशि कार्पस/पूंजीगत निधि में शामिल की जानी चाहिए। अन्यथा ऐसे शुल्क को इस अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क

4) अनिवार्य शुल्क — यदि इक्वेटी की मुख्य गतिविधियों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना है, ऐसी आय को अनुसूची 13 (अन्य आय) का हिस्सा होना चाहिए।

5) अन्य (स्पष्ट करें) — सकल प्राप्तियों को यहां दर्शाया जाएं, परामर्श पर हुए व्यय आदि को अनुसूची 17 ''प्रशासनिक और सामान्य व्यय'' के रूप में दर्शाया जाए।

अनुसूची 10 - अनुदान और दान:

(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान और दान)

1) केन्द्रीय सरकार - अपरिवर्तनीय आधार पर प्राप्त सामान्य उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान या प्राप्त अन्य सहायता और एंटाइटी का उद्देश्य या पूर्व अवधि में हुए व्यय को कवर करने के लिए इस अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

2) राज्य सरकारें - यह अनुदान आदि उनके उपयोग संबंधित किसी शर्त के बिना हैं तथा वापस न करने वाली राशि वाली है जिसे आय में शामिल किया जाएगा।

3) सरकारी एजेंसियां

4) केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान सामान्यत: योजनाबद्ध और योजनेत्तर शीर्ष के तहत अनुदान प्राप्त करते है। योजनावार के तहत के अनुदान सामान्य हो सकते हैं या विशिष्ट योजनाओं के लिए (उदाहरण विज्ञान केन्द्र, ऑडिटोरियम आदि का निर्माण) योजनावार अनुदान पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए हो सकता है। योजनेत्तर अनुदान सामान्य रूप से संस्थान जिसका आंकलित राजस्व व्यय और आंकलित आंतरिक संसाधनों का सृजन परिकल्पित है, के वार्षिक बजट पर आधारित राजस्व खाते की हानि की पूर्ति के लिए है। योजनेत्तर अनुदान राजस्व व्यय और बजट और घाटे पर परिकल्पित संसाधनों का सृजन राजस्व व्यय से काफी कम होता है। यही कारण है जिससे अनुदान/सब्सिडी शब्द प्रयोग किया गया क्योंकि अनुदान हानि को सब्सिडाइज करता है। उन शैक्षिक संस्थान जहां संसाधनों का आंतरिक सृजन आंकलित राजस्व व्यय से अधिक है, को योजनेत्तर अनुदानों की प्राप्ति नहीं होती।

5) अनुसूची में वर्तमान शेष (ओपनिंग बैलेंस) (योजनागत और योजनेत्तर अलग-अलग) वर्ष के दौरान की प्राप्तियां, वापसी यदि कोई हो, पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग की गई राशि, राजस्व व्यय हेतु उपयोग की गई राशि और वर्ष के अंत में उपयोग की गई राशि शामिल है।

6) वित्तीय वर्ष के लेखो की देखरेख करते हुए;

क) पूंजीगत निधि के आंकड़े, अनुदान अनुसूची के आंकड़े और फिक्स एसेट अनुसूची के आंकड़े वर्ष के दौरान अनुदान निधि से प्राप्त परिसम्पत्ति से संबंधित सृजन के बीच अनुदानों से पूंजीगत व्यय की सहमति की तीन प्रणालियां/वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में चालू कुल पूंजीगत कार्य शामिल होंगे। (अर्थात वर्ष के दौरान सृजन माइनेस पूर्ण हुआ चालू पूंजीगत व्यय वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति को अंतरित)।

ख) योजनेत्तर अनुदान से प्रतिपूर्ति राजस्व व्यय की गणना निम्नानुसार होनी चाहिए:

आय और व्यय लेखे के व्यय अनुसूची (योजनेत्तर कॉलम) के अनुसार व्यय	XXX
घटा: सेवानिवृत्ति लाभ हेतु वर्ष में किया गया प्रावधान	XXX
जमा: सेवानिवृत्ति लाभ हेतु वर्ष में किया गया वास्तविक भुगतान	XXX
योजनेत्तर अनुदान से प्रतिपूरक राजस्व व्यय	

(आय और व्यय लेखा में व्यय की ओर के शेष को उपर्युक्त वियोजन और संकलन हेतु उपयोग किया जा सकता है किंतु इस मामले में अन्य वियोजन होना, हानि दर्शाता है जिसके संबंध में भी कोई नगद भुगतान नहीं है)।

सामान्य रूप से राजस्व व्यय जैसाकि उपर्युक्त गणना की गई है पूंजीगत व्यय की पूर्ति के बाद उपलब्ध योजनेत्तर से अधिक होगा। यदि ऐसा है तो ऐसा शेष अपने में योनेत्तर से उपयोग किया गया राजस्व व्यय के रूप में दर्शाया जाएगा, परिणामस्वरूप उपयोग किया गया योजनेत्तर अनुदान शून्य होगा। ऐसे मामलों में परिकल्पना है कि योजनेत्तर अनुदान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति आंतरिक सृजन संसाधन से होती है।

तथापि यदि अगले वर्ष का अनुदान वर्तमान वर्ष में प्राप्त होगा तो यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा अग्रिम अनुदान आगे बढ़ाया जाएगा और अनुदान अनुसूची में उपयोग किए गए अनुदान के रूप में दर्शाया जाता है। इस संबंध में पूंजीगत व्यय की पूर्ति के बाद उपलब्ध योजनेत्तर अनुदान में अग्रिम अनुदान शामिल होंगे। अत: उपलब्ध अनुदान और वास्तविक राजस्व व्यय की तुलना के लिए उपलब्ध अनुदान

को अग्रिम अनुदान द्वारा कम करने पर विचार किया जाए। नीचे अनुदान अनुसूची के नोट में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उपयोग किए गए योजनेत्तर अनुदान अगले वर्ष के लिए अग्रिम अनुदान को दर्शाता है।

7) सामान्यतय: प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार प्राप्त अनुदान के आंकड़े अनुदान अनुसूची में प्राप्तियां (अनु.10) के आंकडें के अनुरूप होगा। तथापि यदि स्वीकृति 31 मार्च या पहले हो, संस्थान द्वारा प्राप्त किया हो, जिसके विरूद्ध राशि वास्तविक रूप में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्राप्त की गई हो, उस वर्ष में जिसमें स्वीकृति जारी की गई, प्राप्त होने वाले अनुदान (ऋण अग्रिम और वापसी के तहत दर्शाया गया है) को घटाकर तथा 'अनुदान लेखा' को योग कर लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्त अनुदान के आंकड़ों में अंतर होगा, प्राप्ति और भुगतान लेखा के आंकड़े और अनुदान अनुसूची के आंकड़े शामिल अनुदान के बराबर होगा।

अनुसूची 11 - निवेश से आय

1.	ब्याज	निवेश से आय कुल राशि और स्रोत पर आयकर को अलग से दर्शाया जाए।
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज शामिल है क) ब्याज की अतिम मान्य तारीख अर्थात कुल ब्याज और देय राशि पर कूपन दर पर प्राप्त ब्याज; और ख) वर्ष के अंत तक कूपन दर पर देय ब्याज अर्थात प्राप्त ब्याज किंतु देय राशि नहीं।
	ख) अन्य बॉड/ऋण पत्र	बॉड और ऋण पत्र पर ब्याज में देय डिस्काउंट शामिल है। डिस्काउंट पर जारी बॉड पर वर्ष के अंत तक समान या प्रीमियम पर देय राशि, उसके जारी होने की शर्त पर।
2.	लाभ	घोषणा की तारीख पर आधारित लाभ प्राप्त होगा।
	क) शेयर पर	इसके बाद अर्थात जब धारक को उसे प्राप्त करने का अधिकार होगा।
	ख) म्युचुयल फंड पर	
3.	किराया	किराये को सम्पत्ति पर ब्याज पर आय, यदि कोई हो, के रूप में दर्शाया जाए।
4.	अन्य (चिन्हित)	ओवरडयू/परिपक्व निवेश पर मांगी गई ब्याज की पहचान नहीं की जाएगी जब तक ऐसी पहचान के लिए पूर्व शर्त पूर्ण हो।

5. निवेश पर आय के संबंध में विशिष्टता दी जाए:
   - क) धारक द्वारा प्राप्त; (यह आय और व्यय लेखा में दर्शाया जाएगा)
   - ख) वे जो चिन्हित/एंडोमेंट फंड के विरूद्ध लिए गए। वर्ष के अंत में चिन्हित/एंडोमेंट फंड के निवेश पर कुल आय को अनुसूची 2 के माध्यम से निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।

6. अनुसूची के दो भाग हैं - प्रथम में चिन्हित/एंडोमेंट निवेश से आय का उल्लेख होता है जिसे कोई शेष न रखते हुए चिन्हित/एंडोमेंट निधि को अंतरण के रूप में दर्शाया जाता है। द्वितीय भाग निवेश - अन्य पर आय से संबंधित है जिसका योग निवेश से आय के रूप में आय और व्यय लेखा में दर्शाया जाता है।

वार्षिक लेखा को अंतिम रूप देते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूची 2 - चिन्हित/एंडोमेंट निधि में प्रथम भाग का योग निवेश से आय निवेश पर देय ब्याज प्लस बचत खातों पर ब्याज के विरूद्ध हॉरिजंटल योग के समान हो।

अनुसूची 12 - अर्जित ब्याज

1.	आवधी जमा पर	1. अर्जित ब्याज की आय को सकल आंकड़े पर दर्शाया जाए तथा स्रोत पर कर को तुलन पत्र में प्राप्त होने वाली आय के रूप में अलग से उल्लेख किया जाए, जहां संस्थान की आय आयकर से मुक्त है।
	क) अनुसूचित बैंक में	
	ख) गैर अनुसूचित बैंक में	
	ग) संस्थानों में	
	घ) अन्य	
2.	बचत खाते पर	2. आय के संबंध में भेद किया जाए;
	क) अनुसूचित बैंक में	क) धारक के खाते पर; और
	ख) गैर अनुसूचित बैंक में	ख) चिन्हित/एंडोमेंट फंड के विरूद्ध; चिन्हित/एंडोमेंट निधि को अंतरित किया जाए।
	ग) पोस्ट आफिस बचत खाता	
	घ) अन्य	
3.	ऋण पर	
	क) कर्मचारियों/स्टाफ	(जहां आवास निर्माण, कंवेंस और कम्प्यूटर के लिए ब्याज सहित अग्रिम के लिए कोई रिवॉलविंग फंड का गठन नहीं किया गया)
4.	ऋणी और अन्य प्राप्ति पर ब्याज	

अनुसूची 14 - पूर्व अवधि आय

पूर्व अवधि आय की मद वह मद है जिसकी आय वर्तमान वर्ष से संबंधित नहीं होती किंतु पूर्व वर्षों से संबंधित होती है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान होती है; यह भी कि जहां पूर्व वर्षों में कोई आय उपार्जित नहीं मानी गई। ऐसी मद आय और व्यय लेखा में सभी आय के संबंध में हो सकती है। प्रत्येक आय शीर्ष के विरूद्ध पूर्व अवधि आय की राशि का उल्लेख इस अनुसूची में किया जाए - और व्यय लेखा में 'पूर्व अवधि आय' शीर्ष के विरूद्ध आंकड़ों के अनुरूप हो।

अनुसूची 15 - स्टॉफ संबंधी भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय):

क	वेतन और भत्ते	प्रतिनियुक्ति के स्टॉफ सहित प्रत्येक शीर्ष के विरूद्ध कुल व्यय का उल्लेख किया जाना चाहिए
ख	भत्ते और बोनस	
ग	भविष्य निधि का अंशदान	
घ	अन्य निधियों का अंशदान (उल्लेख करें)	भविष्य निधि, न्यू पैंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा, सेवा निवृत्ति लाभ आदि के लिए धारक के सांविधिक दायित्व का स्पष्ट रूप से और मद-वार उल्लेख किया जाना चाहिए।
ड.	स्टॉफ वैलफेयर व्यय	
च	कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति लाभ पर व्यय	
घ	अन्य (चिन्हित करें)	

टिप्पणी - सामान्य

1. ग्रेजुएटी, पैंशन और अवकाश भुगतान के लिए वर्ष के लेखे में की गई व्यवस्था की गणना के उल्लेख के लिए उप-अनुसूची 15 अ का प्रयोग किया जाएगा। केवल वर्ष में की गई व्यवस्था को यहां शामिल किया जाएगा। (न की वर्ष के दौरान किया गया पैंशन की कम्युनिटी वैल्यू, ग्रेजयूटी और अवकाश की वास्तविक भुगतान जोकि प्रावधान से देय है)

2. वार्षिक लेखा के अंतिम कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्ष के लिए किया गया कुल प्रावधान और अनुसूची 15अ के अन्य सेवा निवृत्ति लाभ अनुसूची 15 के 'सेवानिवृत्ति और समाप्ति लाभ' के विरूद्ध दर्शाई गई राशि के अनुभव हो।

3. वसूली जैसेफाइन, पैनल्टी आदि के मामले में उसे व्यय शीर्ष से घटाया जाना चाहिए किंतु अनुसूची 13 में 'अन्य आय' के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

पूर्व अवधि मद

पूर्व अवधि और विशिष्ट मद का उल्लेख 'पूर्व अवधि व्यय' शीर्ष के तहत अलग से किया जाएगा ताकि वर्ष के कुल व्यय संबंधी उसके प्रभाव को समझा जा सके।

अनुसूची-16- शैक्षिक व्यय-

शैक्षिक व्यय — इस अनुसूची में निम्नलिखित शामिल हैं।

- सभी शैक्षिक व्यय जैसे प्रयोगशाला चलाने का खर्च उदाहरणार्थ- सभी- रसायन अथवा अन्य उपभोज्य सामाग्री। (उपकरण/उपस्कर तथा यन्त्रों को छोड़कर) जो प्रयोग करने के लिए तथा प्रैक्टिकल कार्य करने हेतु प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए अनिवार्य हैं।
- क्षेत्रीय (फील्ड) अध्ययनों पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- संकाय के दौरे पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- सेमिनार/कार्यशालाओं/दीक्षान्त समारोह पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- विद्यार्थियों के नए बैचों की भर्ती पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- परीक्षाओं से संबंधित व्यवस्था पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- विद्यार्थियों को देय वजीफा/मैरिट-सह-छात्रवृति पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- प्रचार (प्रवेश संबंधी तथा छात्रवृति) पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- पीरियाडिकल्स (आवधिक परीक्षाएं) पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय।
- विद्यार्थी कल्याण से सम्बधित सभी प्रकार के व्यय।
- अनुसंधान कार्यकलाप

अनुसूची 17- प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

(क) अवसंरचना

i) किराया, दरें तथा कर
ii) बिजली व्यय (बिल)
iii) जल प्रभार
iv) सुरक्षा व्यय
v) बीमा
vi) जनरेटर चलाने का व्यय

(ख) संचार

i) पोस्टेज (डाक) तथा टेलीग्राम
ii) दूरभाष तथा फैक्स
iii) इंटरनेट कनैक्टिविटी प्रभार
iv)

(ग) शैक्षिक संस्थाओं को अंशदान

(घ) परामर्श समितियों, इत्यादि के सदस्यो को यात्राभत्ता।

(ड़) विज्ञापन और प्रचार

(च) विधि व्यय

(छ) अन्य

i) मुद्रण एवं लेखन सामाग्री (खपत)
ii) समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं
iii) मनोरंजन व्यय
iv) बैंक प्रभार
v) उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता
vi) श्रम प्रभार, दैनिक पश्रिमिक तथा संविदा श्रमिक
vii) यात्रा तथा स्थानीय परिवहन
viii) सफाई व्यवस्था व्यय
ix) बर्दी
x) फोटोकापी प्रभार
xi) वीसी ऐच्छिक निधि इत्यादि में अंशदान
xii) अन्य अतिरिक्त प्रशानिक व्यय
xiii) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक
xiv) व्यावसायिक प्रभार
xv) अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण/ अग्रिम के लिए प्रावधान
xvi) अप्राप्य बकाया को बट्टे खाते में डालना
xvii) अन्य

नोट:

वसूलियों (प्राप्तियों) के मामले में जैसे कि- किराए की वसूली, वसूल किया गया भाटक प्रभार, जुर्माने, अर्थदण्ड, सप्लायरों इत्यादि से होने वाली टूट-फूट (क्षति) का परिशोधन इत्यादि, इस प्रकार की वसूलियों को व्यय शीर्ष से न घटाया जाए आपितु इन्हें "अनुसूची-13" "अन्य आय" में शामिल किया जाए।

अनुसूची-18 यातायात व्यय

यातायात व्यय में निम्नलिखित सभी व्यय शामिल होंगे

- सभी वाहन (संस्थान के स्वामित्वाधीन)- चलने की लागत जैसे पेट्रोल, डीजल का मूल्य, मरम्मत और वाहनों का रख-रखाव आदि।
- सेवा प्रदाताओं से नियमित अथवा अस्थाई आधार पर लिए गए वाहनों का किराया।
- संस्थान के वाहनों के रख-रखाव (उदाहरणार्थ बीमा) आदि पर हाने वाले अन्य व्यय।
- विभिन्न बैठकों/समिनारों/कार्यशालाओं/दीक्षान्त समारोहों इत्यादि में भाग लेने हेतु अतिथियों/उच्चाधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता व्यय।

अनुसूची-19- मरम्मत तथा रख-रखाव

मरम्मत तथा रख-रखाव में निम्नलिखित व्यय शामिल होंगे

- कार्यालय भवनों, होस्टलों/आवासीय कमरों की रंगाई-पुताई, पर होने वाला सभी प्रकार का व्यय। कार्यालय, आवास, शैक्षिक भवनों तथा होस्टलों में सभी प्रकार की छुटपुट मरम्मत पर होने वाले सभी व्यय।
- फर्नीचर तथा फिक्सचर (जुड़नार) के रख-रखाव पर सभी व्यय।
- सयंत्र एवं उपस्करों की सभी प्रकार की मरम्मत और वार्षिक रख-रखाव।
- कम्प्यूटरों, संचार उपकरणों तथा अन्य कार्यालय उपकरणों की सभी प्रकार की मरम्मत और वार्षिक रख-रखाव।
- इलैक्ट्रिकल् संयत्र और उपकरणों का वार्षिक रख-रखाव।

- प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक उपकरणों के रख-रखाव हेतु वार्षिक रख-रखाव संविदा।
- स्वच्छता (साफ-सफाई) सेवाओं हेतु सभी प्रकार के व्यय।
- किसी अन्य वार्षिक रख-रखाव संविदा (उल्लेख करें) पर होन वाला व्यय।
- उद्यान (बागवानी)
- सम्पदा रख रखाव।
- जिल्दसाजी प्रभार

अनुसूची-20- वित्तीय लागत

वित्तीय लागत में ऋणों, उधार ली गई राशियों तथा बैंक प्रभारों पर सभी प्रकार के ब्याज शामिल हैं।

नोट: केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं के पास कोई ऋण पोर्टफोलियो नहीं हो सकता क्योंकि वे वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने के लिए अनुमेय नहीं है।

ऐसे मामलों में बैंक प्रभार जोकि आर्थिक नहीं है, इसे अनुसूची और शीर्ष हटाकर प्रशासनिक व्यय के आय और व्यय खाते में जोड़ दिया जाए।

<u>अनुसूची-21- अन्य व्यय</u>

इस अनुसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाए:-संस्थाओं/संगठनों

क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	सत्ता के सामान्य प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान, सबिसडी अथवा इसी प्रकार की अन्य सहायता जो अप्रत्यादेय आधार पर दी गई हो इस सूची में शामिल की जाए। इस प्रकार के अनुदान आदि बिना किसी शर्त अथवा सशर्त होते हैं। जो उनकी उपयोगिता तथा अप्रत्यादेय राशि पर निर्भर करता है। जिसे व्यय के रूप में विनियुक्त किया जाए। अनुसूची-13 के उप-शीर्ष में दर्शायी गई सकल आवतियां प्राप्तियों इन अनुदानों का स्रोत हो सकती हैं जिन्हें बदले में अप्रत्यादेय आधार पर अन्य संस्थाओं/संगठनों को दिया जा सकता है। प्रत्येक शीर्ष में दर्शाया गया सकल व्यय प्रकट कर दिया जाए।

नोट: संस्थाओं/सगठनों के नाम उनके कार्यकलाप तथा प्रत्येक मामले में प्रदत राशि का उल्लेख किया जाए।

(ख) कोई अन्य (उल्लेख करें)

अनुसूची 22 - पूर्व अवधि व्यय

पूर्व अवधि व्यय की मदें वे मदें है जिनके लिए व्यय चालू वर्ष से सबंधित नहीं है किन्तु पिछले वर्षों से संबंधित है तथा चालू वर्ष के दौरान किया गया है और साथ ही जिनके जिनके लिए व्यय की कोई बकाया देयता नही है, विगत वर्षों में प्रदान किया गया है।

आय और व्यय खाते मे प्रत्येक व्यय शीर्ष स्थान पर पूर्व अवधि व्यय इस अनुसूची में प्रकट किया जाना चाहिए- आय और व्यय खाते में 'पूर्व अवधि व्यय' शीर्ष में जिनके लिए कुल आकड़ों क साथ मेल खाता है।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण के संकलन हेतु टिप्पिणयां और अनुदेश

अनुसूची जो लेखाओं का भाग है

अनुसूची-23- लेखांकन नीतियां

1. शैक्षिक सस्थाओं को अपनी विशिष्ट लेखांकन नीतियों का उल्लेख करना चाहिए और यह उल्लेख एक स्थान पर किया जाना चाहिए। लेखाकरण नीतियों की वर्णनात्मक सूची जिसका शैक्षिक संस्था उल्लेख कर सकती है, नीचे दी जाती है-

(क) लेखे तैयार करने का आधार (ऐतिहासिक लागत समझौता तथा प्रोदयू प्रणाली)
(ख) राजस्व पहचान (विशेष रूप से उन मदों का उल्लेख जिनकी नकद आधार पर पहचान की जाती है)
(ग) आय और अनुसंधान जैसे विशेषीकृत कार्यकलापों पर व्यय का लेखांकन
(घ) विदेशी मुद्रा का अंतरण अथवा रूपांतरण(यदि संगठन विदेशी निधि प्राप्त कर रहे हैं। आयातों पर विदेशी मुद्रा में व्यय कर रहे है।
(ड.) मूल्यहास् की पद्धतियां
(च) मालसूची का मूल्य निर्धारण
(छ) निवेश का मूल्य निर्धारण
(ज) कर्मचारी लाभ का प्रबंध
(झ) अचल परिसंपत्तियों का मूल्य-निर्धारण
(ञ) आकस्मिक देयताओं का प्रबंध
(ट) निर्माण के दौरान व्यय
(ठ) लधु मूल्य की संपत्तियां
(ड) पट्टेवाली भूमि का लेखांकन प्रबंध
(ढ) निर्धारण निधियों तथा इन्डोमेन्ट निधियों का प्रत्येक निधि के साथ संक्षिप्त विवरण सहित लेखा करण
(ण) अपव्ययी परिसंपत्तियों का ऋण-शोधन
(त) सरकार से प्राप्त योजना/योजनेत्तर अनुदानों का लेखाकरण प्रबंध

(थ) प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों का लेखाकरण प्रबंध (प्राप्तियों और व्यय तथा ऐसी योजनाओं से आय (ऊपरी-वसूलियां, संस्थागत प्रभार/परियोजना प्रबंधन शुल्क आदि)
(द) प्रायोजित परियोजना निधियों तथा निर्धारत निधियों से अर्जित परिसंपत्तियों का लेखांकन प्रबंध
(ध) अध्येता वृत्तियों और छात्रवृत्तियों का लेखाकरण प्रबंध
(न) आस्थागित राजस्व व्यय का वर्गीकरण और प्रबंध
(प) संस्थाओं द्वारा उन्हें दिए गए अनुदानों से अनुदानग्राही सस्थाओं द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों का प्रबंध (यदि लागू हो)
(फ) कराधन स्थिति

2. निधियों के संबंध में, शैक्षिक संस्थाओं का लेखाओं की अनुसूचियों/टिप्प्णियों में निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहिए:

(क) इस अवधि के दौरान प्रत्येक मुख्य निधि, अथशेष, अतिरिक्त आवक, इस अवधिके दौरान कटौतियां/उपयोग तथा अंत में शेष;
(ख) परिसंपत्तियां जैसे प्रत्येक निधि से संबंधित निवेश और देयताएं अलग-अलग;
(ग) प्रत्येक शेष निधि के उपयोग पर प्रतिबंध, यदि कोई हो;
(घ) विशिष्ट अचल परिसंपतियों के उपयोग पर प्रतिबंध, यदि कोई हो।

अनुसूची 24- आकस्मिक देयताएं एवं लेखाटिप्पणियां

इस अनुसूची में शामिल की जाने वाली मदें नीचे उल्लिखित हैं:

क. आकस्मिक देयताएं

1. ऋण के रूप में स्वीकृत न की गई एनटिटी के प्रति दावे ----------

2. प्रतिभूतियां और बकाया साख पत्र:- एनटिटी अथवा बैंकों द्वारा अपनी ओर से दी गई प्रतिभूतियों के लिए देयता तथा वर्ष के अंत में बकाया साखपत्रो का उल्लेख किए जाने की अपेक्षा होती है।

3. अन्य मदें जिनके लिए एनटिटी की आकस्मिक रूप से देयता है। इसमें विवादित कानूनी और अन्य मांगों दावों, पुन: छूटवाले बिलों और अन्य मदों को शामिल किया जाएगा जिनके लिए एनटिटी आकस्मिक रूप से देनदार है जैसे दायर मुकदमें, माध्यस्थम लम्बित मामले।

ख. लेखा टिपणियां

1. पूंजीगत खातों पर वचनबद्धता का प्रावधान नही है- यह संविधाओं/व्यवस्थाओ के संदर्भ मे उत्पन्न होगी जिसके अनुसार परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति/निर्माण के लिए, जब भी वे आरंभ होंगी, राशियां अदा करनी होगी। इस राशि को , निवल अथवा अग्रिम को उल्लेख करना अपेक्षित है।

2. शैक्षिक संस्थाओं का निम्नलिखित सूचना सार्वजनिक करनी होगी ताकि सभी अन्य स्टेक-होल्डर के पास शैक्षिक संस्थाओं की क्षमता तथा सामर्थ्य की विहंगम दृष्टि रहे।

I) छात्रों की संख्या

ii) शिक्षकों की संख्या

iii) भवन निधि तथा उसके व्यय के खाते में संग्रह
iv) खेलकूद कार्यकलापों के लिए संग्रह तथा उन पर व्यय
v) सहायक पाठ्यचर्या कार्यकलापों के लिए संग्रह तथा उन पर व्यय
vi) विकास प्रभारों के खाते में संग्रह तथा उन पर व्यय
vii) चिकित्सा व्ययों के लिए संग्रह तथा उन पर व्यय
viii) ईपीएफ और ईएसआई जैसी कानूनी देनदारी का अनुपालन
ix) शिक्षकों का वेतन ढ़ांचा

उपर्युक्त सूचना की गणना प्रति छात्र आधार पर भी की जा सकती है।

3. सबंधित पार्टी उल्लेख

भारतीय चार्टड अकाउन्टेन्ट संस्थान द्वारा जारी लेखीकरन मानदण्ड (एएस)18, 'संबंधित पार्टी उल्लेख' में संबंधित पार्टी लेन-देन के संबंध में उल्लेख किए जाने की अपेक्षा है। शैक्षिक संस्था के संदर्भ में सार्वजनिक निधि के समावेश को ध्यान में रखते हुए, शैक्षिक संस्था के वित्तीय विवरणों की एक टिप्पणी में निम्नलिखित उल्लेख किया जाना चाहिए:

i) शैक्षिक संस्था तथा- शैक्षिक संस्था का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट अथवा सोसायटी के बीच लेन-देन।

ii) शैक्षिक संस्था तथा- शैक्षिक संस्था के शासी निकाय के ट्रस्टियों अथवा सदस्यों के बीच लेन-देन।

iii) शैक्षिक संस्था तथा ट्रस्ट निर्माता अथवा संस्था के संस्थापक के बीच लेन-देन।

iv) शैक्षिक संस्था का दूसरी शैक्षिक संस्था अथवा उसी ट्रस्ट अथवा सोसायटी द्वारा संचालित किसी अन्य शैक्षिक एनटिटी के बीच, यदि सबंधित कानून/उपनियमों आदि द्वारा अनुमेय हो, लेन-देन।

(v) शैक्षिक संस्था तथा ट्रस्टियों के सबंधी अथवा शैक्षिक संस्था का प्रबंधन करने वाले शासी बोर्ड के सदस्य अथवा ट्रस्ट के निर्माता अथवा संस्था के संस्थापक के बीच लेन-देन। इस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के संदर्भ में एक संबधी से अभिप्राय "पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता तथा माता से है जो शैक्षिक संस्था के साथ उसके/उनके लेन-देन करने में उस व्यक्ति द्वारा प्रभावित किए जाने अथवा प्रभावित करने की संभावना हो"।

(vi) शैक्षिक संस्था तथा उसके प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, अथवा प्रमुख प्रबंधन वार्षिक उस शैक्षिक सस्थान में उन व्यकितयों का प्रतिनिधित्व करेगा जिसके पास शैक्षिक संस्था के कार्यकलापों की योजना बनाने, निदेशित करने तथा नियंत्रित करने हेतु प्राधिकार और उत्तरदायित्व हो। किसी शैक्षिक संस्था के मामले में प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का उदाहरण प्रिंसिपल/कुलपति है।

यदि संबधित पार्टी सबंधों के अस्तित्व के दौरान सबंधित पार्टियों के बीच लेन-देन रहा हो, तो शैक्षिक संस्था को निम्नलिखित का उल्लेख करने चाहिए:

(i) लेन-देन सबंधी पार्टी का नाम;

(ii) लेन-देन क स्वरूप का विवरण;

(iii) लेन-देन की मात्रा; या राशि के रूप में अथवा समुचित अनुपात के रूप में;

(iv) तुलन-पत्र की तारीख को सबद्ध पार्टियों से संबंधित राशियां अथवा समुचित अनुपात अथवा बकाया मदें और उस तारीख को ऐसी पार्टियों की तरु देय संदिग्ध ऋण; तथा

(v) इस अवधि में संबद्ध पार्टियों से प्राप्त अथवा देय ऋण के संबंध में बट्टे-खाते डाली गई अथवा वापस दर्ज राशियां।

संबद्ध पार्टी लेन-देन के निम्नलिखित उदाहरण हैं जिनके संबंध में शैक्षिक संस्था द्वारा उल्लेख किया जाएगा:

सेवाए प्रदान करना अथवा प्राप्त करना;

पट्टे पर देना अथवा किराया खरीद व्यवस्था;

अचल परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री;

समान प्रकार की मदों का संबद्ध पार्टी के प्रकार के अनुसार समेकित रूप में उल्लेख किया जाएगा केवल तब जब अलग उल्लेख उस शैक्षिक संस्था के वित्तीय विवरणों पर संबद्ध पार्टी लेन-देन के प्रभावों को समझने के लिए आवश्यक हो।

व्यक्तिगत संबद्ध पार्टियों के साथ विशिष्ट लेन-देन के ब्यौरों का बार-बार उल्लेख आसानी से समझने के लिए भारी-भरकम होगा। तदनुसार, संबद्ध पार्टी स्वरूप द्वारा समेकित रूप में उल्लेख किया जा सकता है। तथापि, यह इस रूप में नहीं किया गया जैसा विशिष्ट लेन-देन के महत्व को स्पष्ट नहीं किया हे जैसे पुस्तकों की खरीद और बिक्री को अचल परि संपत्तियों की खरीद अथवा बिक्री के साथ समेकित नहीं किया जाता है और न ही व्यक्तिगत पार्टी के साथ सामग्री से संबद्ध पार्टी लेन-देन को समेकित उल्लेख में शामिल नहीं किया जाता है।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संकलन हेतु टिप्पणियां और निर्देश

प्राप्तियां और भुगतान खाता

वर्ष के खातों को अंतिमरूप देते समय निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

1) अनुसूची 10 में वर्ष के दौरान अनुदानों की प्राप्तियों के आंकड़े-अनुदान/सब्सिडी प्राप्तियां और भुगतान खाते में अनुदानों की प्राप्तियों के आंकड़ों से मेल खाते हैं। यदि अनुदान की अनुसूची के आंकड़े अधिक हों, तो इसमें 31 मार्च अथवा उसके पहले की स्वीकृतियों के संबंध में, जिनके लिए अगले वर्ष के अप्रैल में राशियां प्राप्त हुई हों, अनुसूची 8 के अंतर्गत ऋण, अग्रिम और जमा में, जिसे प्रोदभूत आधार पर हिसाब में लिया गया है, दर्शाए गए प्राप्त अनुदानो की राशि प्रकट होनी चाहिए।

2) अन्य शेष नगदी तथा बैंक शेष प्राप्तियों और भुगतान खातों और साथ ही अनुसूची-7 में चालू परिसंपत्तियों के अन्तर्गत गत वर्ष के आंकड़ों में अंत शेष के गत वर्ष के आंकड़े प्राप्तियों और भुगतान खाते में अंत शेष के गत वर्ष के आंकड़ों से मेल खाते हैं।

3) अनुसूची 7, "चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत चालू वर्ष की नकदी और बैंक शेष प्राप्तियां और भुगतान खाते में अंत शेष नकदी और बैंक शेष मेल खाते हैं।